



UPMI010015492015

**न्यायालय ADJ Court NO 01, Mirzapur**  
**पीठासीन अधिकारी– (SUSHRI PRITI SRIVASTAVA-III),**  
**(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06135**

**सत्र परीक्षण संख्या-125 सन् 2015**

- |       |      |   |
|-------|------|---|
| राज्य | बनाम | 1. नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव पुत्र शिवकुमार यादव निवासी नयापुरा हॉसीपुर, थाना कछवाँ, जन्यद मिर्जापुर।<br>2. राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र विजय बहादुर उर्फ मंधन सिंह निवासी पंचराव, थाना चुनार, मिर्जापुर। मुकदमा अपराध संख्या-486 सन् 2015 धारा-302 / 34, 504, 506 / 34 भा०द०सं० थाना-चुनार, जनपद-मिर्जापुर। |
|-------|------|---|

एवं

**सत्र परीक्षण संख्या-124 सन् 2015**

**C.N.R. No.: UPMI01-001548-2015**

- |       |      |  |
|-------|------|--|
| राज्य | बनाम | 1. राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र विजय बहादुर उर्फ मंधन सिंह निवासी ग्राम पंचराव थाना चुनार जनपद मिर्जापुर। मुकदमा अपराध संख्या-688 सन् 2015 अन्तर्गत धारा-3 / 25 आयुध अधिनियम थाना-चुनार, जनपद-मिर्जापुर। |
|-------|------|--|

**निर्णय**

1. उपरोक्त दोनो सत्र परीक्षणीय मामले एक ही घटना से सम्बन्धित हैं इसलिए सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है।
2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा भुवनेश्वर कुमार मिश्र पुत्र श्री जय प्रकाश मिश्र निवासी फुलहाँ थाना चुनार जनपद मीरजापुर ने थाना चुनार में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि 'दिनांक 08.03.2015 की रात्रि करीब 21.30 बजे मेरे पिताजी अपने घर से खाना खाकर

सोने के लिए अपने मशीन जा रहे थे कि रास्ते में ही (कृष्णकान्त पाण्डेय के हाते के पास) मेरे ही गाँव के नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र शिव कुमार यादव तथा राजन यादव पुत्र शिवबली यादव एवं एक और लड़का जिसको मेरे पिताजी नहीं पहचान सके, ये सभी लोग एक ही मोटरसाईकिल पर सवार होकर मेरे पिताजी को रास्ते में रोक कर पुरानी रंजिश को लेकर गालियाँ देने लगे। जब मेरे पिताजी द्वारा इन लोगों को गालियाँ देने से मना किया गया तो नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र शिवकुमार यादव के द्वारा अपने पास से कट्टा निकाल कर जान मारने की नियत से मेरे पिताजी के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे मेरे पिताजी को बाँए कन्धे पर गोली की चोट आयी है। वह लोग मेरे पिताजी को कट्टे की मुठिया से सिर पर भी मारे, जिससे चोटें आयीं हैं। मेरे पिताजी मौके पर से किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए लहूलुहान हालत में घर पर आए और उन लोगों को सारी घटना बताए। मैं अपने पिताजी को जीवनरक्षक इलाज कराने हेतु ले गया। अतः उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए एफ0आई0आर0 दर्ज की जाये।

**3.** उक्त तहीर के आधार पर थाना चुनार में अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव, राजन यादव एवं एक लड़के के विरुद्ध मु0आ०सं० 486 सन् 2015 अन्तर्गत धारा 307, 323, 504 भा०द०सं० की चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क-6 कम्प्यूटर पर पंजीकृत की गयी एवं उसकी कायमी थाने के रोजनामचाआम दिनांकित 09.03.2015 कम संख्या 005 प्रदर्श क-7 पर कम्प्यूटर द्वारा की गयी।

**4.** इस अपराध की प्रारम्भिक विवेचना एस0आई0 संजय कुमार उपाध्याय द्वारा ग्रहण करते हुए एफ0आई0आर0 लेखक व वादी मुकदमा का बयान अंकित किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक अदद बुलेट, टार्च व एक जोड़ी जूता बरामद किया गया एवं घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी प्रदर्श क-9 तैयार किया गया तथा दौरान विवेचना वादी मुकदमा के पिता की मृत्यु हो जाने के कारण धारा 302 भा०द०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी।

इसके उपरान्त विवेचना प्रभारी निरीक्षक प्रेमचन्द्र यादव ने ग्रहण किया, जिन्होंने पंचायतनामा के गवाह, अन्य साक्षीगण तथा अभियुक्तगण का बयान अंकित किया गया तथा फर्द बरामदगी दि० 12.3.2015 एवं आला कल्ल एक अदद कट्टा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 अभियुक्त नागेन्द्र यादव के आधार पर धारा-3/25 आयुध अधिनियम का समायोजन किया गया।

**5.** तदोपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नागेन्द्र यादव एवं राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-302, 504, 506, 34 भा०द०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दि० 05.5.2015 को संज्ञान लिया गया तथा अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण दि० 05.5.2015 को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण सं० 125/2015 के रूप में दर्ज हुआ।

**6.** फर्द बरामदगी दिनांक 11.4.2015 के अनुसार वादी थानाध्यक्ष प्रेमचन्द्र यादव का संक्षेप में कथन यह है कि "दिनांक 11.4.2015 को मैं अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ मिलकर मु0आ०सं० 486/2015 धारा-302, 323, 504, 506,34 भा०द०सं० व 3/25 आयुध अधिनियम की विवेचना में मामूर होकर इस अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह की तलाश, पतारसी व सुरागरसी में ग्राम मेडिया तिराहा पर पहुँचे तो जरिए मुख्यविर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पोखरे की सीढ़ी पर बैठकर कहीं जाने की फिराक में है। उसके पास नाजायज असलहा भी है। इस सूचना पर विश्वास करके अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पोखरे के लिए प्रस्थान किये और पोखरे की सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को समय 9.15 बजे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर

अपना नाम राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र विजय बहादुर बताया गया। जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए पैंट में दाहिने तरफ कमर में खुसा हुआ एक अदद कट्टा एक नाल 12 बोर चालू हालत में बरामद हुआ तथा पहने हुए पैंट की दाहिने जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। कट्टा व कारतूस रखने के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र मांगा गया तो कहा कि मेरे पास कट्टा कारतूस रखने का कोई कागजात नहीं है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। बरामद कट्टा, कारतूस को एक कपड़े में रखकर सीलकर सर्व मोहर किया गया। फर्द मेरे द्वारा बोलकर एच.सी.ओ.पी.० श्याम जी से मौके पर लिखवाया गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी जा रही है। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना चुनार में अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा—3/25 आयुध अधिनियम मुद्रा 688/2015 दर्ज की गयी।

**7.** इस मुद्रा 688 सन् 2015 की विवेचना एस.आई.० रामविलास द्वारा की गयी, जिन्होंने साक्षीगण, एफ.आई.आर.० लेखक आदि का बयान अंकित कर घटनास्थल का निरीक्षण कर नकशा—नजरी प्रदर्श क-17 तैयार किया तथा फर्द बरामदगी दिनांक—11.4.2015 एक अदद कट्टा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के आधार पर अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा—3/25 आयुध अधिनियम प्रेषित किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दि ० ०५.५.२०१५ को संज्ञान लिया गया तथा अपराध सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय से सम्बन्धित होने के कारण दि ० ०५.५.२०१५ को सत्र सुपुर्द किया गया, जो सत्र परीक्षण सं १२४/२०१५ के रूप में दर्ज हुआ।

**8.** तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 25.०७.२०१५ को अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध धारा 302/34, 504, 506/34 भा०द०सं० के अन्तर्गत एवं उसी तिथि को अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की माँग किया।

**9.** विभिन्न न्यायालयों से अंतरित होते हुए उक्त दोनों सत्र वाद इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांक 23.४.२०१६ द्वारा दोनों सत्र वादों को समेकित किया गया तथा सत्र वाद सं १२५/२०१५ को लीडिंग पत्रावली बनायी गयी।

**10.** अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०-१ भुवनेश्वर मिश्रा (वादी मुकदमा), पी०डब्लू०-२ अनू मिश्रा उर्फ अन्जू मिश्रा, पी०डब्लू०-३ डा० टी०एन० वर्मा, पी०डब्लू०-४ कॉ० उमाशंकर पटेल, पी०डब्लू०-५ तनू मिश्रा उर्फ प्रियंका मिश्रा, पी०डब्लू०-६ डा० वीरेन्द्र कुमार सिंह, पी०डब्लू०-७ संजय कुमार उपाध्याय (विवेचक), पी०डब्लू०-८ प्रेमचन्द्र यादव (विवेचक) एवं पी०डब्लू०-९ डा० जनार्दन प्रसाद वर्मा (पोस्टमार्टमकर्ता) को परीक्षित कराया गया है।

**11.** अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में मूल तहरीर प्रदर्श क-१, सिंह मेडिकल एण्ड रिसर्च सेण्टर वाराणसी का जय प्रकाश मिश्रा का मेडिकल प्रपत्र प्रदर्श क-२ लगायत प्रदर्श क-५, प्रथम सूचना रिपोर्ट मुद्रा 486 सन् 2015 प्रदर्श क-६, जी०डी० प्रदर्श क-७, जय प्रकाश मिश्रा की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-८, नकशा—नजरी प्रदर्श क-९, फर्द एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, एक बुलेट, जूता, टार्च आदि प्रदर्श क-१०, आरोप-पत्र मुद्रा 486 सन् 2015 प्रदर्श क-११, फर्द बरामदगी प्रदर्श क-१२, आरोप-पत्र मुद्रा 688 सन् 2015 प्रदर्श क-१३, पंचायतनामा मृतक जय प्रकाश मिश्रा प्रदर्श क-१४, फर्द बरामदगी एक अदद कट्टा व दो अदद जिन्दा कारतूस प्रदर्श क-१५, प्रथम सूचना

रिपोर्ट मु0अ0सं0 688 सन् 2015 प्रदर्श क-16, नक्शा—नजरी मु0अ0सं0 688/2015 प्रदर्श क-17, नकल रपट प्रदर्श क-18, मृत्यु प्रमाण—पत्र जय प्रकाश मिश्रा प्रदर्श क-19, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-20, फोटोनास प्रदर्श क-21, चिकित्सक द्वारा एस0आई0सी0 वाराणसी को प्रेषित पत्र प्रदर्श क-22 एवं थानाध्यक्ष पड़री द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को प्रेषित पत्र प्रदर्श क-23 एवं सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा पुलिस सूचना प्रदर्श क-24 एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

**12.** अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 एवं अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने झूठी रिपोर्ट लिखाए जाने, झूठा बयान दिए जाने एवं गलत मेडिकल व गलत ढंग से फर्द तैयार किए जाने का कथन करते हुए कुछ और कहना है मैं अभियुक्तगण ने यह कहा है कि “गाँव व क्षेत्र की रंजिश व पार्टीबन्दी के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है।”

अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्ष्य में सूची 155ख/1 से कागज सं0 155ख/2 ता 155ख/5 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दाखिल की गई है।

**13.** मेरे द्वारा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों (मौखिक एवं दस्तावेजी) प्रपत्रों व पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का सम्मान अवलोकन किया गया।

**14.** अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपने मौखिक तर्क में कहा है कि अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव एवं राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह ने 'दिनांक 08.03.2015 की रात्रि करीब 21.30 बजे वादी मुकदमा के पिताजी को रास्ते में रोक कर पुरानी रंजिश को लेकर गालियों देने लगे। जब उनके द्वारा इन लोगों को गालियों देने से मना किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा अपने पास से कट्टा निकाल कर जान मारने की नियत से फायर कर दिया, जिससे उनको बॉए कन्धे पर गोली की चोट आयी तथा दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी।

**15.** अभियोजन पक्ष के उक्त आरोप का बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिवाद किया गया है। बचाव पक्ष का कथन है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई ऐसा अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित सभी साक्षीगण हितबद्ध साक्षी हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध दोषारोपण के तथ्य को प्रमाणित करने में विफल रहा है तथा दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

**16.** प्रस्तुत मामले में संक्षेप में अभियोजन का यह कथन है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 08.3.2015 को समय करीब 9.30 बजे रात को मृतक जयप्रकाश मिश्रा को कट्टे से फायर करके इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित की, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त कथनों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से 9 साक्षी परीक्षित कराये गये हैं।

**17.** उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य की विवेचना एवं संवीक्षा किये जाने के पूर्व मुकदमे के गवाहान के मुख्य परीक्षा के साक्ष्य को उद्भूत किया जाना समीचीन है।

**18.** अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को साबित करने हेतु बतौर अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू-1 भुवनेश्वर मिश्रा वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कहा है कि “मैं वर्तमान में दो भाई हूँ। दूसरे भाई मदन मिश्रा बम्बई में प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। मेरे दो लड़कियाँ अन्नू मिश्रा व तनू मिश्रा उर्फ प्रियंका व दो लड़के किशन व छोटू हैं। शशिकला मेरी पत्नी का नाम है। भाई मदन मिश्रा के पत्नी का नाम संध्या मिश्रा है। घटना के समय मेरे दोनों लड़के अपनी चाची संध्या मिश्रा के साथ रावर्टसंगंज में रहकर पढ़ते थे। लड़कियाँ घर पर ही रहकर पढ़ती थीं। घर पर मैं तथा मेरे पिता जय प्रकाश, पत्नी शशिकला व दोनों लड़कियाँ रहती थीं। मेरी लड़की तनू मिश्रा उर्फ प्रियंका पढ़ने के लिए घर से पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा हांसीपुर में आती-जाती थी। विद्यालय आते-जाते मेरी लड़की तनू मिश्रा को हांसीपुर के नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी व राजन यादव अक्सर छेड़-खानी करते थे, जिसकी शिकायत मेरी लड़की तनू मुझसे तथा मेरे पिताजी से करती रही। इसकी शिकायत मैं तथा मेरे पिता जय प्रकाश ने विद्यालय के प्रधानाचार्य व नागेन्द्र व राजन के परिजनों से किया। इस पर विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नागेन्द्र व राजन को काफी डांटा-फटकारा था। इस बात से नागेन्द्र व राजन मेरे परिवार से काफी रंजिश मानते थे और हम लोगों को इसके लिए मजा खाने की बात धमकी लोगों से देते रहते थे। यह भी धमकी देते थे कि हम लोगों के दोस्त शातिर अपराधी मिन्टू सिंह हैं, हम लोग मजा खाएंगे। हम लोग इन बातों को सुनकर इस पर ध्यान नहीं दिए। दिनांक 08.03.2015 को रात्रि लगभग 09.30 बजे मेरे पिता जय प्रकाश घर पर खाना खाकर ट्यूबवेल मशीन पर रखवाली करने जा रहे थे। मेरे पिता दवा खाना भूल गए थे। मेरी पत्नी शशिकला मुझे बतायी कि बिना दवा खाए पिताजी चले गए हैं। इस पर मैं अपनी दोनों लड़कियों अन्नू व तनू को पिताजी की दवा देकर भेजा कि अभी थोड़ी दूर गए होंगे ले जाकर दवा दे दो। मेरे पिता जय प्रकाश जब गॉव के पश्चिम कृष्णाकान्त पाण्डेय उर्फ पुर्झ पाण्डेय के हाते के अन्तिम छोर पर पहुंचे कि तभी मोटरसाईकिल से नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव, राजन यादव उर्फ राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पहुंच कर मेरे पिता को रोक कर उन्हें गाली-गुप्ता देने लगे और कहे कि छेड़खानी की शिकायत करते हो। इस पर मेरे पिता जय प्रकाश ने उन लोगों को गाली देने से मना किया तो उक्त लोग गुस्से में आगबबूला हो गए। इतने पर राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह ने ललकारा कि इसे गोली मार दो बचने न पाए। इतने पर नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी ने अपने कट्टे से जान मारने की नियत से मेरे पिता जय प्रकाश के ऊपर फायर कर दिया, जिससे बांए कन्धे में गोली लग गयी। इतने में मेरे पिताजी ने नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी को पकड़ लिया। इस पर राजन सिंह उर्फ मिन्टू ने अपने हाथ में लिए कट्टे की मुठिया से मेरे पिता के सिर पर मारा। तभी राजन यादव, नागेन्द्र यादव का कट्टा छीनकर कट्टे की मुठिया से मेरे पिता को मारने लगे। राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह ने भी कट्टे से फायर किया। इस पर मेरी दोनों लड़कियाँ चिल्लाने लगीं। तभी वहाँ संतोष सिंह भी आ गए तथा मेरे पिता को बचाने का प्रयास किया। इस पर उक्त लोगों ने गाली-गुप्ता देते हुए न लोगों से कहा कि तुम लोग भाग जाओ नहीं तो तुम लोगों का भी यही हश्श होगा।” शोरगुल के आवाज पर गॉव के अन्य लोग पहुंचे तो मुल्जिमान मोटरसाईकिल से भाग गए। मेरे पिता लहुलुहान हालत में आकर सारी बात मुझसे बताए। मैं उनकी जान बचाने के लिए इलाज हेतु वाराणसी सिंह मेडिकल अस्पताल वाराणसी ले गया। प्रारम्भिक इलाज के पश्चात शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी ले जाया गया। इलाज के पश्चात पुनः उन्हें सिंह मेडिकल अस्पताल वाराणसी में भर्ती कराया गया। सिंह मेडिकल में ही मैंने भाई पुनीत से प्रार्थना-पत्र लिखवाया व पढ़वाकर सुना और अपना हस्ताक्षर बनाकर जल्दी-जल्दी मैं थाना चुनार में देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया। प्रलेख संख्या 3अ/1 साक्षी को दिखाया व पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने उल्लिखित तथ्य तथा अपने हस्ताक्षर को सिद्ध किया और कहा कि यही प्रार्थना-पत्र मैंने पुनीत मिश्रा से बोलकर लिखवाया था, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। मेरे पिता की हालत चिन्ताजनक थी। उसके पश्चात घर वापस आकर सिंह मेडिकल हास्पिटल वाराणसी चला गया। मैं थाने पर रप्ट दर्ज कराने के पश्चात पैसे की व्यवस्था करने घर आया। घर के लोग पिताजी को देखने अस्पताल चले गए थे। मेरे पिता की हालत चिन्ताजनक थी। मैं भी घबराया हुआ था। इस घटना को

मेरी दोनों लड़कियाँ अन्नू मिश्रा उर्फ अंजली, तन्नू मिश्रा उर्फ प्रियंका, गाँव के संतोष कुमार सिंह व अन्य बहुत से लोगों ने देखा था। मेरी लड़की तन्नू मिश्रा के साथ अक्सर नागेन्द्र यादव, राजन यादव, रामलखन यादव, भन्टी यादव व मिन्टू सिंह छेड़खानी करते थे। मेरी लड़की मुझसे तथा मेरे पिताजी को बताया करती थी। मैंने उक्त लोगों द्वारा लड़की के साथ छेड़खानी करने का रिपोर्ट इसलिए नहीं किया था कि लड़की का मामला था। लोकलाज व इज्जत के कारण नहीं कराया था लेकिन उक्त लोगों के घर पर मैंने शिकायत की थी। अभियुक्त मिन्टू गुण्डा किस्म का शातिर अपराधी है। उससे क्षेत्र के सभी लोग डरते हैं। उसके ऊपर बहुत से आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। दरोगाजी को घटनास्थल दिखा दिया था।”

इस साक्षी ने पुनः तलब किये जाने पर दि 0 19.3.2021 को सशपथ कथन किया है कि दि 0 08.3.205 को घटना कारित किया गया, जिसमें मेरे पिता जी जयप्रकाश मिश्र को गोली मारकर घायल किया गया था, जिसमें इलाज हेतु सिंह मेडिकल अस्पताल ले गये थे। दि 0 09.3.2015 को सिंह मेडिकल कालेज वाराणसी में मृत्यु हुआ था, जिसका पंचायतनामा उप निरीक्षक रमेश यादव थाना सिगरा द्वारा पंचायतनामा तैयार किया गया था। पंचायतनामा भरते समय मैं वहाँ पर उपस्थित था। पंचायतनामा पर मेरा हस्ताक्षर बनवाया गया था, जो पत्रावली में संलग्न प्रपत्र सं 3अ/43 है। साक्षी ने पंचायतनामा को देखकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया, जिस पर प्रदर्श क-14 डाला गया।”

#### पंचायतनामा

पंचायतनामा में यह अंकित किया गया है कि बहवाले रपट सं 38 समय 1620 दि 0 09.3.2015 रो 0ना 10 आम थाना सिगरा जनपद वाराणसी पर सूचनाकर्ता सुनील कुमार, सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर मलदहिया थाना सिगरा जनपद वाराणसी बावत मृतक जयप्रकाश मिश्र पुत्र स्व 0 राम गोपाल मिश्र निवासी ग्राम फुलहाँ थाना चुनार मिर्जापुर को गोली लगने के कारण घायलावस्था में दि 0 08.3.2015 को भर्ती होकर इलाज कराने एवं इलाज के दौरान दि 0 09.3.2015 को समय करीब 3.00 बजे सांय मृत्यु होने के बावत सूचना पर थाना स्थानीय से प्राप्त मेमे व नकल रपट, पंचायतनामा सिल्ड व मय दिगर कागजात सहित कां० धर्मदेव चौहान को साथ लेकर सिंह मेडिकल आया। मृतक का शव अस्पताल के मोर्चरी में स्ट्रेचर पर रखा गया है। शव को मोर्चरी से बाहर निकलवाकर उपस्थित परिजनों को उनके अधिकार एवं कर्तव्यों को बताकर पंचायतनामा की कार्यवाही में मसरूफ होता हूँ। उपस्थित परिजनों में से पंचान नियुक्त किया गया।

**दशा शव:** सिर जानिब उत्तर, पैर जानिब दक्षिण, हाथ सीधा पहलू में दोना पैर सीधा, दोनों आँखें बन्द, मुँह अध्युला, जीभ बाहर निकली हुयी, चित दशा में शव है।

**हुलिया :** रंग गोरा, गोल चेहरा, मजबूत दोहरी जिस्म, आँख, कान, नांक व कद औसत उम्र करीब 65 वर्ष

**पहनाव:** अस्पताली हगीस पहना है।

**चोट:** बांये कंधे पर चीरा गले तक, सिर में पीछे कटे का निशान, जगह जगह छर्रे का निशान, गर्दन में चीरा का निशान व गले पर कटे का निशान, दाहिने हाथ बाजू पर काला धब्बा का निशान, बांये कंधे पर काला धब्बा का निशान है।

**राय पंचान** नियुक्त पंचों से अलग अलग व एक साथ मृत्यु से सम्बन्धित पंचों की राय ली गई तो सभी ने अलग अलग व एक साथ मृत्यु का कारण गोली लगने से घायल होने के फलस्वरूप मृत्यु का कारण बता रहे हैं तथा सही कारण जानने व अन्य विधिक प्रक्रिया हेतु पोस्टमार्टम कराना आवश्यक होने की राय दे रहे हैं।

**राय उ० नि०** मुझ उ०नि० की राय पंचों की राय से मेल खाती है। मृतक की मृत्यु इलाज के दौरान हुयी है, फिर भी विधिक प्रक्रिया एवं मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराया जाना आवश्यक है। अतः मृतक के शव को एक सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा शव को कां० 2076 धर्मदेव चौहान को सुपुर्द कर वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है तथा कांस्टेबिल को हिदायत किया कि शव का बाद पोस्टमार्टम धार्मिक सीति रिवाज के साथ नियमानुसार दाह संस्कार कराना सुनिश्चित करेंगे।

**19.** पी०डब्लू०-२ अन्जू मिश्रा उर्फ अन्जू मिश्रा ने अपने सशपथ मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि "मेरे पिता दो भाई हैं। दूसरे भाई मदन मिश्रा मेरे चाचा मुम्बई में प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं। मेरे चाची का नाम संध्या मिश्रा है, जो रावर्ट्सगंज रहती है। मेरे दोनों छोटे भाई किशन व छोटू मिश्रा उन्हीं के साथ रावर्ट्सगंज रहकर पढ़ते हैं। सन् 2015 में मैं शिवाजी इण्टर नेशनल कालेज हांसीपुर में कक्षा 11 में पढ़ती थी। मेरी छोटी बहन तन्नू उर्फ प्रियंका मिश्रा उस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय हांसीपुर में कक्षा 8 में पढ़ती थी। घटना दिनांक 08.03.2015 की है। उस दिन रात में लगभग 09.30 बजे मैं तथा मेरी बहन तन्नू घर पर पढ़ रही थी। तभी मेरे पिता हम लोगों से आकर कहे कि दादा जय प्रकाश मिश्रा खाना खाने के बाद बिना दवा खाए मशीन पर चले गए हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, दौड़कर उनको दवा दे दो। मैं अपनी छोटी बहन तन्नू के साथ दवा लेकर दादा को देने के लिए घर से चले। टार्च भी लिए थे। जब हम लोग कृष्णाकान्त पाण्डेय के हाते के पास पहुंची तो गोली चलने की आवाज सुनी और दादाजी के चिल्लाने की आवाज भी सुनी। हम दोनों भी चिल्लाते हुए टार्च जलाते हुए आगे बढ़े। मैंने देखा कि नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी को मेरे दादा पकड़े हुए थे। दोनों में गुत्थमगुत्था हो रहा था। तभी नागेन्द्र यादव कट्टे की मुठिया से मेरे दादा के सिर पर मारने लगे। तभी राजन यादव नागेन्द्र यादव के कट्टे को लेकर उससे मेरे दादा के सिर पर मारे। तभी मिन्टू सिंह अपने कट्टे से एक फायर किए। मैं तथा तन्नू बचाने की कोशिश किया तो उक्त लोगों ने घमकी दिया कि भाग जाओ नहीं तो तुम लोगों की भी यही दशा होगी। गोली चलाने व शोरगुल सुनने से वहां पर गॉव के सन्तोष सिंह, विवेक उपाध्याय व सत्येन्द्र उपाध्याय टार्च जलाते हुए पहुंच गए। उन लोगों ने भी बचाने की कोशिश किया तो उक्त लोगों ने उन्हें भी घमकी दिया कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। तब तक और लोग भी इकट्ठा होने लगे तो उक्त तीनों लोग काले मोटरसाईकिल से भाग गए। मैं तन्नू तथा दादा जी वहां से घर पर आए। दादा जी को गोली लगी थी, सर पर भी छोटे लगी थी, खून बह रहा था। मेरे पिता दादाजी को लेकर उनकी जान बचाने के लिए दवा हेतु वाराणसी ले गए। उन्हीं छोटों के कारण दिनांक 09.03.2015 को बनारस में हो गयी। मैंने उक्त तीनों लोगों को दादाजी को मारते हुए अपनी आँखों से देखा था। मेरी बहन तन्नू के साथ अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव, राजन यादव, मिन्टू सिंह अपने साथियों के साथ छेड़ खानी करते थे। दिनांक 27.02.2015 को उक्त लोग मेरी बहन तन्नू के साथ जब वह पढ़ने के लिए गयी थी तो छेड़खानी कर रहे थे। उसी समय मैं पहुंच गयी और सुरेन्द्र मिश्रा भी पहुंच कर बीच-बचाव किए। वहां से घर आए, घर आकर तन्नू ने दादा जय प्रकाश व पिता भुवनेश्वर मिश्रा से बताया। इस पर मेरे दादा जय प्रकाश मिश्रा उक्त पॉचों लोगों के परिवारजनों से बात किए, इसकी शिकायत किए तथा तन्नू के विद्यालय जाकर प्रधानाचार्य से भी शिकायत किए। इस पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य उक्त लोगों के परिवार वालों को बुलाकर काफी डॉटे-फटकारे, जिसके कारण उक्त लोग मेरे दादा से रंजिश मानते थे। उक्त लोग कहते थे कि मिन्टू सिंह उनका दोस्त है। हम लोग मिलकर इन लोगों को मजा चखाएंगे। मैं तथा तन्नू यह बात अपने दादा तथा पिता से बतायी। इस पर उन लोगों ने कहा कि ये सब लड़के हैं, ऐसा करते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इसी रंजिश के कारण इन लोगों ने मेरे दादा जय प्रकाश की हत्या की। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

**20.** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-३ डा० टी०एन० वर्मा ने अपने सशपथ मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि "दिनांक 08.03.2015 को मैं सिंह मेडिकल वाराणसी में रिसर्च सेण्टर मलदहिया वाराणसी में आकस्मिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन 11.30 पी०एम० पर मजरूब जय प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व० रामगोपाल मिश्रा निवासी फुलहां थाना चुनार जिला मिर्जापुर आग्नेयास्त्र की चोट से घायलावस्था में भर्ती हुए। आग्नेयास्त्र की गोली के घुसने व निकलने का घाव गर्दन में बांयी तरफ तथा अनेक फटे हुए घाव सर पर पाए गए। डा० टी०एन० सिंह आर०एम०ओ० ने मजरूब को उक्त अस्पताल में भर्ती किया तथा मजरूब के इलाज हेतु विभिन्न जाँच लिखे तथा इमरजेन्सी जीवन रक्षक दवाइयाँ दी गयी। एडमिशन

स्लिप मूल मय अपने साथ लाया हूँ जिसे देख व पढ़कर साक्षी ने डा० डी०एन० सिंह आर०एम०ओ० के हस्ताक्षर को सिद्ध किया और कहा कि उनको मैंने लिखते-पढ़ते देखा है और उनके लेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता हूँ। मूल की हूब्हू फोटोप्रति प्रलेख संख्या 3 अ/58 है। साक्षी ने डा० डी०एन० सिंह के लेख व हस्ताक्षर में होना सिद्ध किया, जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया। मजरूब की हिस्ट्री उन्हीं द्वारा लिखी गयी है, उसे डाक्टर डी०एन० सिंह ने अपने लेख में अंकित किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें बताया गया कि मजरूब को उसी दिन दिनांक 08.03.2015 को लगभग 09.30 पी०एम० पर आग्नेयास्त्र से चोट पहुंचायी गयी थी। यह भी उल्लेख किया है कि:-

1. गर्दन आग्नेयास्त्र की चोट है।
  2. अत्यधिक रक्तस्त्राव हो रहा है।
  3. रक्तचाप बहुत कम है।
  4. बेचैनी है।
  5. सर के दाहिने पेराइटल पर अनेक फटे हुए घाव थे।

मजरूब को भुवनेश्वर कुमार उसका पुत्र तथा गाँव के कलक्टर मिश्रा लाए थे। मूल हिस्ट्री मेरे सामने है, जो डाक्टर डी०एन० सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी हूबहू फोटोप्रिति प्रलेख संख्या ३अ/५९ है, जिस पर प्रदर्श क-३ डाला गया। मजरूब को प्राथमिक इलाज के पश्चात मेडिकोलीगल हेतु शिव प्रसाद गुप्त हास्पिटल मण्डलीय जिला चिकित्सालय वाराणसी भेजा गया। उसके पश्चात वापस आने पर उसका शल्य चिकित्सा किया गया। शल्य चिकित्सा डा० ए० सिन्हा व मेरे द्वारा की गयी। आपरेटिव नोट मेरे साथ के डाक्टर ए० सिन्हा ने मेरे सामने तैयार किया। मूल मेरे सामने है, जिसकी हूबहू फोटोप्रिति प्रलेख संख्या ३अ/६३ है, जिस पर प्रदर्श क-४ डाला गया। काफी प्रयास के बाद भी मजरूब की जान नहीं बच सकी और वह दिनांक ०९.०३.२०१५ को ०३.०० पी०एम० पर मृत्यु हो गया, जिसका उल्लेख दिनांक ०९.०३.२०१५ के नोट में मेरे लेख व हस्ताक्षर में अंकित है। मूल नोट मेरे सामने है। जिसकी हूबहू फोटोप्रिति ३ अ/६५ को साक्षी ने प्रमाणित किया, जिस पर प्रदर्श क-५ डाला गया।”

21. **पी0डब्लू0-4 कॉ0 उमाशंकर पटेल** ने अपने सशपथ मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि “दिनांक 09.03.2015 को मैं थाना चुनार में कम्प्यूटर आपरेटर सी0सी0टी0एन0एस0 के पद पर तैनात था। उस दिन कॉ0 मुंशी राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भुवनेश्वर कुमार मिश्र के तहरीर को बोलने पर अक्षरशः मैंने कम्प्यूटर पर चिक एफ0आई0आर0 टाइप किया, जो प्रलेख संख्या 3अ/2, 3अ/2/1 साक्षी ने प्रमाणित किया और कहा कि यही मैंने कम्प्यूटर पर कॉ0 मुंशी राजेन्द्र प्रसाद के बोलने पर टाइप किया था, जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। मुकदमा कायमी की जी0डी0 उक्त राजेन्द्र प्रसाद ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था, जिसकी हूबहू प्रति प्रलेख संख्या 3अ/16 है, जो कॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के लेख व हस्ताक्षर में है। उन्होंने अक्षरशः बोलकर कम्प्यूटर पर मुकदमा कायमी की जी0डी0 मुझसे तैयार करायी, जो जी0डी0 रपट संख्या 5 दिनांक 09.03.2015 समय 04.35 पर दर्ज है। कम्प्यूटर प्रति प्रलेख संख्या 3अ/12 है, जिसे साक्षी ने प्रमाणित किया, जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।”

**22.** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0-5 तन्नू मिश्रा उर्फ प्रियंका मिश्रा** ने अपने सशपथ मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 08.03.2015 को समय 09.30 बजे रात में स्थान गाँव फुलहां में पुर्झ पाण्डेय के हाता के पास अशोक मिश्रा के खेत में मैं और मेरी दीदी अनु मिश्रा पढ़ाई घर में छत पर कर रहे थे। मेरे पापा ने हम लोगों से कहा दादाजी खाना खाने के बाद दवा नहीं खाकर गए थे। पापा ने हम लोगों से कहा कि जाकर दादाजी को दवा दे दो वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं और दीदी टार्च लेकर दादाजी को दवा देने के लिए घर से बाहर पुर्झ पाण्डेय के हाता के पास पहुंचे तो देखा कि नागेन्द्र यादव,

मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह दादाजी को गाली दे रहे थे। बहुत गन्दी—गन्दी गालियाँ राजन यादव, नागेन्द्र यादव एवं मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह दे रहे थे। मैंने इन लोगों को गाली देते हुए दूर से सुना था। मेरे दादाजी को ये लोग कह रहे थे कि मादरचोद अभी कम हुआ है। उसके बाद हम लोग टार्च जलाते हुए आगे बढ़े। मैंने देखा कि गोली चलने और दादाजी की आवाज चिल्लाने की सुनी। मेरे दादाजी के बांए तरफ कन्धे में नागेन्द्र यादव ने गोली मारी। हम लोग दादाजी को बचाने की कोशिश किए। नागेन्द्र यादव, मिन्टू सिंह और राजन यादव ने कहा कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसी समय गाँव के सतेन्द्र उपाध्याय, विवेक उपाध्याय, संतोष सिंह ने मेरे दादाजी को बचाने की कोशिश की। अभियुक्तगण ने इन लोगों को भी धमकी दी कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तीनों अभियुक्तगण काले रंग की मोटरसाईकिल से भाग गए। मैं और दीदी दादाजी को लेकर घर आए। दादाजी श्री जय प्रकाश मिश्र को जान बचाने के लिए मेरे पापा बनारस लेकर चले गए। मैं और दीदी घर पर ही थे। मेरे दादाजी का इलाज बनारस में हुआ। दिनांक 09.03.2015 को लगभग 03.30 बजे शाम को मेरे दादाजी की मृत्यु बनारस में सिंह मेडिकल में हुई। सिंह मेडिकल बनारस में कहाँ स्थित है, मुझे नहीं मालूम है। इस घटना के पहले ये मुझे नागेन्द्र यादव, राजन यादव, मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह, बन्टी यादव तथा रामलखन यादव मुझे गन्दा—गन्दा शब्द बोलकर अश्लील हरकत करते थे। अभियुक्तगण ने मेरे साथ छेड़खानी करने के कारण रास्ते में आते—जाते परेशान करते थे तथा गन्दी—गन्दी शब्द बोलते थे। घटना छेड़खानी की दिनांक 27.02.2015 को स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा हॉसीपुर में 10.30 बजे दिन में अभियुक्तगण मुझे मारा था। स्कूल के अन्दर इन लोगों ने मारा था। मेरे कपड़े फाड़ दिए थे। चाकू से नागेन्द्र यादव ने मुझे फील्ड में मारा था। चाकू मेरे दाहिने हाथ अंगूठे के नीचे कलाई में लगा था। मैंने इस स्कूल की घटना के बारे में घर आकर दादाजी व पापाजी को बताया था। तब दादाजी ने इन लोगों के घर पर शिकायत की थी। स्कूल पर भी दादाजी ने शिकायत की थी। दादाजी ने पैंचों अभियुक्तगण के खिलाफ की थी। दादाजी ने खैरा चौकी पर शिकायत की थी। उस शिकायत पर जब कोई कार्यवाही नहीं हुई। रास्ते में नागेन्द्र यादव, राजन यादव, बन्टी यादव बोलते थे कि मिन्टू सिंह मेरे दोस्त हैं। उनसे मिलकर मजा तुम लोगों को चखाएंगे। इन्हीं सब की रंजिश रखते हुए मेरे दादा जय प्रकाश को दिनांक 08.03.2015 को गोली नागेन्द्र यादव ने मारी थी। गोली कट्टा था, उसको बन्दूक भी बोलते हैं, जो लगभग एक बित्ता चार अंगुल का था। नागेन्द्र यादव ने उसी कट्टे की मुठिया से मेरे दादाजी के सिर पर मारा था। मेरे दादाजी के सिर पर पीछे की तरफ चोट बहुत जगह फट गया था।”

**23. पी0डब्लू-6 डा० वीरेन्द्र कुमार सिंह** ने अपने सशापथ मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि “मैं दिनांक 09.03.2015 को जनपद अस्पताल वाराणसी के आकस्मिक कक्ष में कार्यरत था। उस दौरान चुटैल जय प्रकाश मिश्र उम्र 62 वर्ष पुत्र स्व० राम गोपाल मिश्र पता फुलहाँ थाना चुनार मिर्जापुर को पुत्र भुवनेश्वर मिश्र द्वारा मेरे समक्ष लाया गया। चुटैल के पास किसी प्रकार का रेफर लेटर नहीं था। चुटैल जय प्रकाश मिश्र का चिकित्सीय परीक्षण मेरे द्वारा किया गया।

### चोट संख्या-1.

L.W लेसरेटेड (फटा) वुण्ड (चोट) 01.00 से 0 मी 0 X 0.700 से 0 मी 0 X गहराई ज्ञात नहीं थी, जो कि बाईं गर्दन के बेस पर था, जिसका मैंने गर्दन का एक्सरे करने की सलाह दी। यह चोट बांए कान से दस से 0 मी 0 नीचे था, जिससे खून बह रहा था।

### चोट संख्या-2.

फटा हुआ घाव 04.00 X 3.5 से 0 मी 0 X गहराई अज्ञात जो बांधी क्लैपिकल हड्डी के पास थी। इस चोट से खून बह रहा था, जिसका मैंने चेस्ट का एक्सरे करने की सलाह दी।

**चोट संख्या-3.**

कन्ट्र्यूड सूजन 15.00 से0मी0 X 15.00 से0मी0 जो बांए गर्दन के बेस पर व बांए कन्धे पर और सीने के ऊपरी भाग पर था, जिसका मैंने सीने व गर्दन का एक्सरे कराने की सलाह दी। यह चोट की ऊपरी त्वचा फटी हुई थी।

**चोट संख्या-4.**

खरोंच व सूजन वाली चोट 05.00 से0मी0 X 05.00 से0मी0 दाहिने बीच के आर्म के पार्श्व साइड पर थी, जो लाल रंग की थी।

**चोट संख्या-5.**

फटा हुआ चोट 0.5 से0मी0 X 0.5 से0मी0 गहराई अज्ञात जो बांए नाक की छेद के पास थी, जिसका मैंने चेहरे पर आई चोटों के एक्सरे की सलाह दी।

**चोट संख्या-6.**

कन्ट्र्यूस्ड सूजन 05 से0मी0 X 05 से0मी0 सिर के बांई फिर कहा दॉई तरफ जो दाहिने कान से 07.00 से0मी0 ऊपर था, जो लाल कलर का था।

**अभियोजन**

चोटहिल की स्थिति गम्भीर, नाड़ी 90/मिनट, रक्तचाप 110/80 था। उपरोक्त सभी चोटों के लिए सर्जन को रिफर किया गया व एक्सरे के रिपोर्ट के लिए रेडियोलाजिस्ट को रिफर किया गया।

पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र संख्या 37ख मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया है। आघात आख्या 37ख पर प्रदर्श क-8 डाला गया।

**24.** अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू-7 संजय कुमार उपाध्याय** ने अपने सशपथ मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि 'घटना के समय मैं थाना चुनार में उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था। दिनांक 09.03.2015 को समय 04.35 बजे सुबह मु0अ0सं0 486/15 अन्तर्गत धारा 323, 307, 504 भा0दं0सं0 थाना चुनार का विवेचना ग्रहण किया। उसी दिन पर्चा नं0 1 किता किया गया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान कॉम्प्यूटर (लेखक एफ0आई0आर0) उमाशंकर पटेल का अंकित किया गया तथा बयान वादी श्री भुवनेश्वर मिश्रा पुत्र जय प्रकाश मिश्रा निवासी फुलहा थाना चुनार अंकित किया। उन्हीं के निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कृष्णकान्त पाण्डेय उर्फ फुई पाण्डेय के हाता के पास पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण कर नवशा-नजरी तैयार किया, जो शामिल प्रपत्र संख्या 3अ/13 जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क-18 डाला गया, जो घटनास्थल पर पास में गेहूं के खेत के मेड़ के पास एक अदद 315 बोर व एक अदद बुलेट तथा थोड़ी दूर पर 3 सेल का एवरेडी टार्च चालू हालत में तथा एक जोड़ी जूता 7 नम्बर मजरूब जय प्रकाश का पाया गया, जिस पर वस्तु प्रदर्श कमशः खोखा कारतूस 315 बोर पर वस्तु प्रदर्श-1, एक अदद बुलेट आगे रांगा लगा हुआ है, जिस पर वस्तु प्रदर्श-2 डाला गया। एक अदद चमड़े का जूता 7 नम्बर जिस पर वस्तु प्रदर्श-3 डाला गया। जिसे मौके पर फर्द को कब्जे में लेकर सील मोहर तैयार किया तथा टार्च को वादी मुकदमा को दे दिया था। शामिल मिसिल फर्द बरामदगी कागज संख्या 3अ/15 है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-10 डाला गया। नकल रपट संख्या 51 समय 21.35 दिनांकित 09.03.2015 के अनुसार मुकदमे को तरमीम करके धारा 302 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी करके एस0एच0ओ0 प्रेमचन्द यादव को विवेचना सुपुर्द की गयी।"

इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर मु0अ0सं0 486/2015 एवं मु0अ0सं0 688/2015 में प्रेषित आरोपत्र तथा फर्द बरामदगी आला कल्ला विरुद्ध राजन उर्फ मिन्टू सिंह को बतौर द्वितीयक साक्ष्य साबित करने के लिए पुनः आहूत किया गया।

उक्त साक्षी द्वारा सशपथ कथन किया गया कि "मैंने निरीक्षक प्रेमचन्द्र यादव के साथ कार्य किया है। मैं उनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित हूँ। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र 3अ/1, आरोपपत्र सं0 94/15 मु0अ0सं0 486/2015 धारा-302, 504, 506,34 भा0द0सं0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना चुनार जिला मीरजापुर पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द्र यादव के लेख एवं हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ। साक्षी के तस्दीक के आधार पर प्रदर्श क-11 डाला गया। उक्त आरोपपत्र अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव व राजन उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध है। इसी प्रकार पत्रावली में संलग्न आला कत्ल तमंचा 315 बोर, दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर अ0सं0 486/2015 धारा-302, 504, 506 भा0द0सं0 व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम निरीक्षक प्रेमचन्द्र यादव के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ। साक्षी के तस्दीक के आधार पर फर्द बरामदगी पर प्रदर्श क-12 डाला गया। उसी क्रम में साक्षी को पत्रावली में संलग्न आरोपपत्र कागज सं0 3अ/1 अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम विरुद्ध राजन उर्फ मिन्टू सिंह दिखाया गया तो साक्षी ने उसे देखकर बताया कि उक्त आरोपपत्र भी पी.सी. यादव के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे वह पहचान रहा है। साक्षी के तस्दीक के आधार पर उक्त आरोपपत्र पर प्रदर्श क-13 डाला गया।"

**25.** अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू-8 प्रेमचन्द्र यादव विवेचक** ने अपने सशपथ साक्ष्य में यह कथन किया है कि 'दिनांक 11.04.2015 को मैं को0 चुनार में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। दिनांक 11.04.2015 को मैं, है0कॉ0 श्यामजी यादव, कॉ0 धर्मन्द्र यादव, कॉ0 राजाराम यादव मय सरकारी जीप चालक रामप्यारे के साथ मु0अ0सं0 486 सन् 2015 धारा 302, 323, 504, 506 व 34 भा0द0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह की तलाश व पतारसी में मेडिया तिराहे पर पहुंचा कि मुखबीर खास ने बताया कि राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह खानपुर में पोखरे की सीढ़ी पर बैठा है, कहीं बाहर जाने की फिराक में है, उसके पास नाजायज असलहा है। जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर हमराहियान व मुखबीर के साथ खानपुर पोखरे के करीब पहुंचा। मुखबीर ने इशारे से बताया और वहाँ से हट गया। मैं हमराहियान के मुखबीर के बताए हुए व्यक्ति के करीब पहुंचकर उसे टोका कि हम पुलिस वालों को देखकर हड्डबड़ाकर भागा। 10-15 कदम जाते-जाते घेरकर समय 09.15 बजे पकड़ लिया गया। नाम-पता माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अनुपालन करते हुए पूछा गया तो अपना नाम राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह उर्फ मेघन सिंह निवासी पंचराव थाना चुनार मिर्जापुर बताया। वाजाफ्ता जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए पैण्ट के दाहिनी तरफ से कमर पर खुसा हुआ एक अदद कट्टा एक नाली 12 बोर, जिसकी नाल 7 अंगुल लम्बा बाड़ी लोहा 7 अंगुल मुठिया लोहे की 4 अंगुल बाड़ी व नाल को जोड़ने हेतु लोहे की पत्ती लगी है। ट्रेगर व ट्रेगर गार्ड लगा हुआ चालू हालत में है। कट्टे की नाल खोलकर देखा गया व सूंधा गया तो बारूद की गंध आ रही थी तथा पहने हुए पैण्ट की जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ। बरामदशुदा कट्टा व कारतूस आज न्यायालय के समक्ष सील खोलकर प्रस्तुत किया गया। यह वही कट्टा व कारतूस है, जो दिनांक 11.04.2015 को अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था। एक अदद कट्टा 12 बोर जिस पर वस्तु प्रदर्श-4 तथा दो जिन्दा कारतूस 12 बोर वस्तु प्रदर्श-5 डाला गया।"

इस साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि "उपरोक्त कट्टा व कारतूस की बरामदगी के दौरान काफी लोग आ गए। उनसे गवाही के लिए कहा गया तो बुराई व भलाई के चलते हट-बढ़ गए। बरामद कट्टा व कारतूस को एक कपड़े में रखकर सील मोहर किया गया। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 3 अ/6 मैंने बोलकर है0कॉ0 श्यामजी यादव से लिखवाया था, जिस पर मेरा हस्ताक्षर फर्द पर है। मैं अपने हस्ताक्षर का शिनाख्त करता हूँ जो प्रदर्श क-15 डाला गया। फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 08.03.2015 को रात्रि में 21.30 बजे मैं व नागेन्द्र यादव व राजन यादव

मिलकर जय प्रकाश मिश्रा को मारे थे, जिसमें नागेन्द्र यादव ने जय प्रकाश मिश्रा को गोली मारा। जय प्रकाश मिश्रा उसको पकड़ लिए। गोली की आवाज सुनकर तमाम लोग दौड़ पड़े तो मैंने भी उसी कट्टे से फायर किया था। एफ0आई0आर0 हेतु मोहर्रि नन्द किशोर सिंह द्वारा हमारे समक्ष बोलकर कॉ0 रजनीश यादव मय अक्षरशः शब्द कम्प्यूटर पर दर्ज किया गया था, जो पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 3अ/2 लगायत 3अ/4 है, जिस पर प्रदर्श क-16 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न नक्शा-नजरी प्रपत्र संख्या 3अ/13 मेरे बताने के मुताबिक राम विलास एस0आई0 द्वारा निरीक्षण घटनास्थल के दौरान तैयार कराया गया, जिनके लेख व हस्ताक्षर को भलीभांति पहचानता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-17 डाला गया। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 3अ/14 जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर दिनांक 22.04.2015 को अभियुक्त राजन के विरुद्ध अभियोग चलाने हेतु जिलाधिकारी से अनुमति लिया गया, जो प्रपत्र संख्या 3अ/14 है। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 3अ/10 नकल रपट जो मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-18 डाला गया। निरीक्षक संजय उपाध्याय वर्ष 2014-2015 में मेरे साथ उप-निरीक्षक के पद पर को0 चुनार में कार्यरत थे। वे मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर से बखूबी परिचित हैं, जो प्रदर्श क-12 मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में था तथा आरोप-पत्र संख्या 94/2015 मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में प्रस्तुत किया गया था, जो पहले से प्रदर्श क-11 डाला जा चुका है।"

**26.** अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-9 डा0 जनार्दन प्रसाद वर्मा ने अपने सशपथ मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि "दिनांक 10.03.2015 को समय 02.30 पी0एम0 बी0एच0य० पोस्टमार्टम के लिए ड्यूटी लगी थी। मृतक जय प्रकाश मिश्रा का पोस्टमार्टम दिनांक 10.03.2015 को शुरू किया गया। पोस्टमार्टम के बीच में एक्सरे कराने के लिए एस0एस0पी0जी0 हास्पिटल वाराणसी भेजा गया। एक्सरे के उपरान्त मृतक जब पोस्टमार्टम के लिए आया तो रात हो चुकी थी। अतः रात होने की वजह से जिलाधिकारी वाराणसी की अनुमति से दिनांक 11.03.2015 को 00.45 ए0एम0 पर पुनः पोस्टमार्टम शुरू किया गया और पूर्ण किया गया। मृतक जय प्रकाश मिश्रा पुत्र स्व0 रामगोपाल मिश्रा निवासी फुलहां थाना चुनार जिला मिर्जापुर उम्र 65 वर्ष कॉ0 बी 76 धर्मदेव चौहान थाना सिगरा पुलिस द्वारा मृतक को ले आया गया था। मृतक की ऊँचाई 162 से0मी0 तथा वजन 64.580 ग्राम शरीर मध्यम व औसत काठी थी। शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। शरीर पर पूरे अकड़न मृत्योपरान्त मौजूद था। दोनो ओर्खें अधखुली थी तथा मुंह भी आधा खुला था। जीभ व नाखून सामान्य थे।

#### एन्टीमार्टम इन्जरी:-

1. टांका लगा हुआ घाव जो 12 से0मी0 लम्बा था तथा 12 Stiches लगे हुए थे। बांए सीने के ऊपरी हिस्से में और गर्दन के ठीक नीचे, मध्य रेखा से 5 से0मी0 बाहर तथा बांए कान से 12 से0मी0 नीचे तथा बांए कम्बे से 11 से0मी0 मध्य भाग की ओर।
2. फटा हुआ भाग (Lacerated) 3 से0मी0 x 0.5 से0मी0 x muscle deep. 1 cm. Lateral to mid line pack of head. 2 cm above occipute.
3. फटा हुआ घाव (Lacerated) 2 cm x 0.5 cm x muscle deep Right side parietal Area, 4 cm दाहिने कान के ऊपर, 15 cm outer to midline.
4. Contusion 10 cm x 6 cm left side of auricular region.
5. Brain Grazed (घिसा हुआ घाव) 4 cm x 3 cm left outer arm (बॉये बॉह में), कंधे के बांयी तरफ 18 से0मी0 नीचे।
6. श्वास की नली में Tracheostomy wound 2 cm x 2 cm front of neck.
7. सीने को खोलने के बाद Contusion 12 x 6 cm left side outer chest 3 cm below left axilla with fracture of IIIrd to Vth rib.

- सिर (Head) में चोट देखा गया जो मृत्यु के पूर्व चोट नं 02 व 03 के सन्दर्भ में पूर्व उल्लिखित है।
- Skull (खोपड़ी) सामान्य। मस्तिष्क की डिलिलयाँ Pale थीं। मस्तिष्क Pale था। मस्तिष्क का वजन 1230 ग्राम। ऑख, नाक व कान की Cavity सामान्य थीं। दाँत 16/16 था। मुँह, जीभ, ग्रसनी सामान्य थीं। थायरायड और अन्य ऊतक सामान्य थे। कंठनली तथा स्वरग्रन्थि सामान्य थीं। श्वास नली व हायड अस्थि मृत्यु के पूर्व चोट नं 06 में दिखाया गया है।
- छाती में दाहिनी तरफ सामान्य व बांयी तरफ मृत्यु के पूर्व आयी चोट संख्या 07 देखा गया है। Chest wall में भी चोट संख्या 07 में देखा गया है।
- श्वास नली में चोट देखा गया। हायडअस्थि सामान्य थीं।
- लिगन सामान्य
- परिफुफ्फुस (pluva) Pale था। परिफुफ्फुस गुहा Right side सामान्य था। बाएं तरफ 100 ml खून था।
- फेफड़ा की स्थिति—दाहिने तरफ Pale था। बांया Concussed था। दाहिने फेफड़े का वजन 480 ग्राम व बाएं का 460 ग्राम था।
- Pericardium pale था। Pericardium Sec. सामान्य था।
- हृदय का वजन 240 ग्राम था। हृदय का चैम्बर रक्त से आधा भरा हुआ था। बड़ी रक्तवाहिनियाँ सामान्य थीं।
- उदर भित्ति की दशा सामान्य थी। Peritoneum Pale थी। Cavity सामान्य थी।
- आमाशय में पानी की तरह 80 ml द्रव्य पाया गया था। आमाशय की न्यूकोशा सामान्य पायी गयी। छोटी ऑत में म्यूकस और गैस पाया गया। बड़ी ऑत में मल पदार्थ व गैस पाया गया था।
- Liver Pale था जिसका वजन 1195 ग्राम।
- Gallbladder भरी हुई थी। Splin 105 gram थी तथा Pale थी। वस्तिगुहा के ऊतक सामान्य थे। Pelvic Bone सामान्य थी। गुर्दा दोनों Pale था। दाहिने का वजन 105 ग्राम, बाएं का 102 ग्राम था।
- जननांग सामान्य थे।
- Spinal Column सामान्य था। Spinal Card open नहीं किया गया था।

### मृत्यु का समय.

मृत्यु सिंह मेडिकल रिसर्च सेण्टर वाराणसी में दिनांक 09.03.2015 को 03.00 अपराह्न में हुई थी, जो पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 3अ/49 मृत्यु प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर से सत्यापित है, जिस पर प्रदर्श क-19 डाला गया।

### मृत्यु का कारण.

मृतक जय प्रकाश मिश्रा की मृत्यु का कारण Shock and Haemorrhage से हुई, जिसका कारण मृत्यु के पूर्व आयी चोटें जो कि पूर्व में नोट की गयी है तथा सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की हैं तथा उपयुक्त सभी चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त हैं। पत्रावली में संलग्न शब्द—विच्छेदन आख्या प्रमाण-पत्र संख्या 338/15 कागज संख्या 3अ/53 मेरे लेख एवं हस्ताक्षर में तैयार किया गया है, जिसे मैं शिनाख्त करता हूँ तथा जिस पर प्रदर्श क-20 डाला गया। पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या 3अ/46 मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया, जिस पर प्रदर्श क-21 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न 3अ/51 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-22 डाला गया एवं प्रपत्र संख्या 3अ/52 जिलाधिकारी वाराणसी महोदय से मृतक के पोस्टमार्टम की रात्रि में अनुमति लेने हेतु मेरे लेख में मेरे द्वारा सत्यापित किया गया, जिस पर प्रदर्श क-23 डाला गया, जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।”

**27.** वर्तमान प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर के अनुसार अभियुक्तगण ने दिनांक 08.03.2015 को समय करीब 9.30 बजे रात को मृतक जयप्रकाश मिश्रा को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए कट्टे से फायर करके इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित की, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस आधार पर धारा-302/34, 504, 506/34 भा०द०सं० का तथा तमंचे की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया और विचारण किया गया। इस प्रकार आरोप अं० धारा- 302/34, 504, 506/34 भा०द०सं० एवं 3/25 आयुध अधिनियम के सन्दर्भ में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य की विवेचना एवं संवीक्षा की जानी है।

**28.** अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में पी०डब्लू०१ भूवनेश्वर मिश्रा, पी०डब्लू०२ अनू मिश्रा, पी०डब्लू०५ तनू मिश्रा को परीक्षित कराया गया है। न्यायालय इन गवाहान के बयानों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करेगी।

**29.** अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम भूवनेश्वर मिश्रा वादी मुकदमा को पी०डब्लू०१ के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा है कि “दिनांक 08.03.2015 को रात्रि लगभग 09.30 बजे मेरे पिता जय प्रकाश घर पर खाना खाकर ट्यूबवेल मशीन पर रखवाली करने जा रहे थे। मेरे पिता दवा खाना भूल गए थे। मेरी पत्नी शशिकला मुझे बतायी कि बिना दवा खाए पिताजी चले गए हैं। इस पर मैं अपनी दोनों लड़कियों अनू व तनू को पिताजी की दवा देकर भेजा कि अभी थोड़ी दूर गए होंगे ले जाकर दवा दे दो। मेरे पिता जय प्रकाश जब गॉव के पश्चिम कृष्णाकान्त पाण्डेय उर्फ फुर्झ पाण्डेय के हाते के अन्तिम छोर पर पहुंचे कि तभी मोटरसाइकिल से नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव, राजन यादव उर्फ राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पहुंच कर मेरे पिता को रोक कर उन्हें गाली-गुप्ता देने लगे और कहे कि छेड़खानी की शिकायत करते हो। इस पर मेरे पिता जय प्रकाश ने उन लोगों को गाली देने से मना किया तो उक्त लोग गुस्से में आगबबूला हो गए। इतने पर राजन सिंह उर्फ पिन्टू सिंह ने ललकारा कि इसे गोली मार दो बचने न पाए। इतने पर नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी ने अपने कट्टे से जान मारने की नियत से मेरे पिता जय प्रकाश के ऊपर फायर कर दिया, जिससे बाएं कन्धे में गोली लग गयी। इतने में मेरे पिताजी ने नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी को पकड़ लिया। इस पर राजन सिंह उर्फ मिन्टू ने अपने हाथ में लिए कट्टे की मुठिया से मेरे पिता के सिर पर मारा। तभी राजन यादव, नागेन्द्र यादव का कट्टा छीनकर कट्टे के मुठिया से मेरे पिता को मारने लगे। राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह ने भी कट्टे से फायर किया। इस पर मेरी दोनों लड़कियों चिल्लाने लगीं। तभी वहाँ संतोष सिंह भी आ गए तथा मेरे पिता को बचाने का प्रयास किया। इस पर उक्त लोगों ने गाली-गुप्ता देते हुए न लोगों से कहा कि तुम लोग भाग जाओ नहीं तो तुम लोगों का भी यही हश्च होगा।” शोरगुल के आगाज पर गॉव के अन्य लोग पहुंचे तो मुल्जिमान मोटरसाइकिल से भाग गए। मेरे पिता लहुलुहान हालत में आकर सारी बात मुझसे बताए। मैं उनकी जान बचाने के लिए इलाज हेतु वाराणसी सिंह मेडिकल अस्पताल वाराणसी ले गया। प्रारम्भिक इलाज के पश्चात शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी ले जाया गया। इलाज के पश्चात पुनः उन्हें सिंह मेडिकल अस्पताल वाराणसी में भर्ती कराया गया।”

इस साक्षी ने जिरह में पेज-12 पर कहा है कि “मैं अपनी रपट में यह बात सही लिखी है कि मेरे पिता जी मौके पर से अपनी जान बचाते हुए लहुलुहान हालत में घर पर आये।” मेरे पिता जयप्रकाश से चोट लगने के बाद पहली बार मुलाकात घर पर हुयी। घटनास्थल से मेरे पिता जी चोट लगने के बाद पैदल ही घर पर आये। “आगे जिरह के पेज-21 पर सुझाव दिये जाने पर इस साक्षी ने कहा है कि “यह कहना गलत है कि मेरे पिता जी चोट लगने के बाद बेहोश हो गये थे और बोलने की स्थिति में नहीं थे। यह भी कहना गलत है कि चोट लगने के बाद मेरे पिता जी ने मुझे कोई बयान नहीं दिया था।” जिरह के पेज-24 पर कहा है कि “घटना के बाद सर्वप्रथम हमारे पिता जी ने अभियुक्तों का नाम बताया था। नागेन्द्र यादव,

राजन यादव, राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह अभियुक्त का नाम बताया था।" सुझाव दिये जाने पर कहा है कि "यह कहना गलत है कि घटना के बाद पिता जी ने अभियुक्तों का नाम नहीं बताया था।"

इस साक्षी के समग्र बयान का मूल्यांकन किया जाय तो इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में घटना का समर्थन किया है तथा मृतक जयप्रकाश मिश्रा द्वारा लहुलुहान हालत में घायल अवस्था में आकर सारी बात बताने के आधार पर बयान दिया है। साक्षी द्वारा अपने पिता को इलाज हेतु अस्पताल ले जाने का कथन किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से विस्तृत जिरह की गई है, किन्तु जिरह में कोई ऐसा तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे बचाव पक्ष को लाभ हो।

**30.** पी0डब्लू0-2 अन्नू मिश्रा ने भी अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और कहा है कि "घटना दिनांक 08.03.2015 की है। उस दिन रात में लगभग 09.30 बजे मैं तथा मेरी बहन तन्नू घर पर पढ़ रही थी। तभी मेरे पिता हम लोगों से आकर कहे कि दादा जय प्रकाश मिश्रा खाना खाने के बाद बिना दवा खाए मशीन पर चले गए हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, दौड़कर उनको दवा दे दो। मैं अपनी छोटी बहन तन्नू के साथ दवा लेकर दादा को देने के लिए घर से चले। टार्च भी लिए थे। जब हम लोग कृष्णकान्त पाण्डेय के हाते के पास पहुंची तो गोली चलने की आवाज सुनी और दादाजी के चिल्लाने की आवाज भी सुनी। हम दोनों भी चिल्लाते हुए टार्च जलाते हुए आगे बढ़े। मैंने देखा कि नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी को मेरे दादा पकड़े हुए थे। दोनों में गुथमगुथा हो रहा था। तभी नागेन्द्र यादव कट्टे की मुठिया से मेरे दादा के सिर पर मारने लगे। तभी राजन यादव नागेन्द्र यादव के कट्टे को लेकर उससे मेरे दादा के सिर पर मारे। तभी मिन्टू सिंह अपने कट्टे से एक फायर किए।"

इस साक्षी ने पेज-11 पर जिरह में कहा है कि "दादाजी के शरीर से निकला रक्त जटाशंकर के खेत से घर तक पूरा गिरा था क्योंकि मैं व तन्नू मिश्रा उनको लेकर आये थे। जटाशंकर के खेत से घर लाने में दादा जी को 10-15 मिनट लगा। मैं दादा जी व तन्नू पैदल ही घर आये थे।" जिरह में पेज-15 पर यह भी कथन किया है कि "मैंने पिता जी को घर जाकर बताया था कि नागेन्द्र व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह ने दादाजी को गोली मारा था।"

इस साक्षी के साक्ष्य को देखा जाय तो इसके द्वारा कहा गया है कि वह गोली चलने की आवाज व दादा जी के चिल्लाने की आवाज सुनी। यह साक्षी भी टार्च जलाते हुए आगे बढ़ी तो देखा कि नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी को उसके दादा पकड़े हुए थे। दोनों में गुथमगुथा हो रहा था। तभी नागेन्द्र यादव कट्टे की मुठिया से उसके दादा के सिर पर मारने लगे। तभी राजन यादव नागेन्द्र यादव के कट्टे को लेकर उससे उसके दादा के सिर पर मारे। तभी मिन्टू सिंह अपने कट्टे से एक फायर किए। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा घटना कारित करते हुए अभियुक्तगण को देखे जाने का कथन किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी विस्तृत जिरह की गई है, किन्तु जिरह में कोई ऐसा तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे बचाव पक्ष को लाभ हो।

**31.** पी0डब्लू0-5 तनु मिश्रा उर्फ प्रियंका मिश्रा ने भी अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा है कि "घटना दिनांक 08.03.2015 को समय 09.30 बजे रात में स्थान गाँव फुलहां में फुई पाण्डेय के हाता के पास अशोक मिश्रा के खेत में मैं और मेरी दीदी अनु मिश्रा पढ़ाई घर में छत पर कर रहे थे। मेरे पापा ने हम लोगों से कहा दादाजी खाना खाने के बाद दवा नहीं खाकर गए थे। पापा ने हम लोगों से कहा कि जाकर दादाजी को दवा दे दो वह ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं और दीदी टार्च लेकर दादाजी को दवा देने के लिए घर से बाहर फुई पाण्डेय के हाता के पास पहुंचे तो देखा कि नागेन्द्र यादव, मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह दादाजी को गाली दे रहे थे। बहुत गन्दी-गन्दी गालियाँ राजन यादव,

नागेन्द्र यादव एवं मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह दे रहे थे। मैंने इन लोगों को गाली देते हुए दूर से सुना था। मेरे दादाजी को ये लोग कह रहे थे कि मादरचोद अभी कम हुआ है। उसके बाद हम लोग टार्च जलाते हुए आगे बढ़े। मैंने देखा कि गोली चलने और दादाजी की आवाज चिल्लाने की सुनी। मेरे दादाजी के बांए तरफ कन्धे में नागेन्द्र यादव ने गोली मारी। हम लोग दादाजी को बचाने की कोशिश किए। नागेन्द्र यादव, मिन्टू सिंह और राजन यादव ने कहा कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा।"

इस साक्षी ने पेज -18 पर जिरह में कहा है कि "मौके पर मेरे दादाजी का जूता गिरा पड़ा था। पुई पाण्डेय के हाता से पश्चित तरफ कितनी दूर पर पड़ा था, नहीं मालूम। जहाँ जूता गिरा था उसके 10-15 कदम उत्तर तरफ मेरे दादा को गोली लगी थी। पुई पाण्डेय के हाता से उत्तर तरफ मेरे दादा का टार्च गिरा था। यह टार्च पुई पाण्डेय के हाता के अंतिम छोर से लगभग 20-22 कदम की दूरी पर गिरा था। जहाँ पर दादा जी को गोली लगी थी, वहीं टार्च गिरी थी। जहाँ टार्च गिरा था। जहाँ जूता गिरा था, जहाँ बुलट व कारतूस गिरा था, वहाँ सभी जगह खून गिरा था। पुई पाण्डेय के हाता से करीब 200 कदम की दूरी पर मेरा मूल घर है। गोली लगने के बाद मेरे दादा पुई पाण्डेय के हाते से पैदल ही घर गये। उनके साथ साथ मैं व मेरी बड़ी बहन अन्नू भी गई थी। जाते वक्त दादा को जूता नहीं पहनाया और न टार्च उठया। प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा है कि दादा जी को गोली लग चुकी थी, उनको बचाने के लिए हम व दीदी घर चले आये थे।" आगे पेज-20 पर कहा है कि "मेरे दादा जी गोली लगने के बाद मौके पर बेहोश नहीं हुए थे। उनके घाव से खून बह रहा था। जब मेरे पापा दादा जी को बनारस ले जा रहे थे तब भी खून बह रहा था।" पेज-21 पर कहा है कि "दादा जी को देने के लिए घर से दवा मैं लेकर गई थी। दीदी साथ मैं थी। गोली लगने के बाद दादा जी स्वयं चलकर घर गये थे। हम लोगों ने पकड़ा नहीं था।"

इस साक्षी के समग्र बयान का मूल्यांकन किया जाय तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह साक्षी भी अपनी बहन पी0डब्लू0-2 के साथ मौके पर उपस्थित हुयी तथा इसने भी अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करते हुए देखे जाने का कथन किया है। इसके द्वारा कहा गया है कि मेरे दादाजी के बांए तरफ कन्धे में नागेन्द्र यादव ने गोली मारी। हम लोग दादाजी को बचाने की कोशिश किए। नागेन्द्र यादव, मिन्टू सिंह और राजन यादव ने कहा कि भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से भी विस्तृत जिरह की गई है, किन्तु जिरह में कोई ऐसा तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे इस साक्षी के बयान को अविश्वसनीय माना जाय।

**32.** अभियोजन द्वारा उपरोक्त सभी तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य की प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी साक्षीगण ने घटना से सम्बद्ध घटनाकाल, घटना के स्थान, घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण का नाम, उनकी पहचान उनके द्वारा अपराध कारित करने हेतु अपनायी गयी प्रहार की रीति तथा इस्तेमाल किये गये हथियारों एवं घटना के उपरान्त घटे घटनाक्रम का विस्तृत तथा विश्वसनीय चित्रण अपने साक्ष्य में किया है। ऐसे में उनका साक्ष्य अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने हेतु पूर्णरूप से प्रासंगिक एवं ग्राह्य है।

**33.** उपरोक्त तर्क का गम्भीरता से प्रतिवाद करते हुए बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि इस मामले में वास्तव में घटना का कोई सम्यक विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। रंजिश के कारण सोच समझ कर घटना में नामित करते हुए रिपोर्ट लिखायी गयी है। परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य का किसी स्वतन्त्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है। स्वतन्त्र साक्षी की उपलब्धता मौके पर रही है, किन्तु तहरीर में उसका नाम नहीं अंकित है और उसे परीक्षित न कराये जाने का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है।

चिकित्सीय साक्ष्य का साक्षीगण के साक्ष्य से समर्थन नहीं हो रहा। अभियोजन घटनास्थल को साबित करने में असफल रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है, एण्टीटाइम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त

नहीं है। घटनास्थल से बुलेट बरामद होना कहा गया है किन्तु कनेक्ट नहीं है। नक्शा नजरी में घटनास्थल पर प्रकाश के श्रोत का उल्लेख नहीं है। विवेचक द्वारा त्रुटिपूर्ण विवेचना की गयी है। छेड़खानी वाली घटना का जिक्र तहरीर में नहीं है और साक्षीगण पी0डब्लू0-2 एवं पी0डब्लू0-5 के अनुसार सुनियोजित तरीके से कहानी बनायी गयी है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा भिन्न-भिन्न आधारों पर तर्क देते हुए अभियोजन कथानक स्थापित नहीं होना कहा गया है। उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में बचाव पक्ष द्वारा निम्नलिखित विधिव्यवस्थाओं को प्रस्तुत किया गया है:-

- 2017 (1) ए.सी.आर. 736 (एलबी) (इलाहाबाद) नकुल शर्मा बनाम स्टेट आफ यू.पी.
- 2006 (2) सुप्रीम कोर्ट केसेज (कि.) 284 प्रताप सिंह व अन्य बनाम स्टेट आफ एम.पी.
- 2017 (1) एस.सी.सी. (कि.) 45 महाबीर सिंह बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश
- 2019 (गा) सुप्रीम कोर्ट केसेज (कि.) 765 प्रेम सिंह बनाम सुखदेव सिंह
- 2019 (2)यू0पी0 कि0 रूलिंग 604 (इलाहाबाद) टासन व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0
- 2018 (1) यू0पी0 कि0 रूलिंग 611 (इलाहाबाद) लक्ष्मण बनाम स्टेट आफ यू0पी0
- 2012 (2) ए.सी.आर.1194 (एस.सी.) स्टेट आफ राजस्थान बनाम मोहन लाल व अन्य
- 2014 सी.आर.एल.जे.3128 (एस.सी.) गणेशदत्त बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड
- 2016 (1) ए.सी.आर. 546 (एस.सी.) स्टेट आफ पंजाब बनाम बिट्टू व अन्य
- 1984 यू0पी0 कि0 142 (इलाहाबाद) मुंशी बनाम स्टेट
- 2010 (1) एस.सी.सी. (कि.) 573 स्टेट आफ उत्तर प्रदेश बनाम मंगल सिंह व अन्य
- 2014 (2) ए सी आर .1561 (इलाहाबाद) स्टेट आफ यू.पी बनाम राजवीर व अन्य
- 2014 (2) ए.सी.आर. 1403 (इलाहाबाद) स्टेट आफ यू.पी. बनाम दीदार सिंह व अन्य
- 2015 (2)ए.स.आर.1292 (इलाहाबाद) सुरेन्द्र दुबे व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0
- 2014 सी.आर.एल.जे 3697 सुप्रीम कोर्ट बलबीर बनाम वजीर
- 2016 (3) यू.पी. कि0 रूलिंग 341 सुप्रीम कोर्ट पंकज बनाम स्टेट आफ राजस्थान
- 2014 (3) ए.सी.आर. 3439 स्टेट आफ यू.पी. बनाम ओमबीर व अन्य
- 1017 (2) ए.सी.आर. 1617 (इलाहाबाद) हरिराम व अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. प्रस्तुत की गयी है, जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया।

**34.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम तर्क यह दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से करायी गयी है, एण्टीटार्फ़िल है। घटना दि0 08.3.2015 समय रात्रि 9.30 बजे की है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट दि0 09.3.2015 को 4.35 ए.एम. पर अंकित करायी गयी है तथा चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में समय 2.00 ए.एम. अंकित है।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि प्रस्तुत मामले में चुटहिल को चोटें होने के कारण तथा उसकी गम्भीर हालत को देखते हुए इलाल हेतु पहले उसे सिंह मेडिकल एवं रिसर्च सेण्टर वाराणसी ले जाया गया था, फिर वहाँ से शिवप्रसाद गुप्त अस्पताल वाराणसी मेडिको लीगल हेतु ले जाया गया। रात्रि के समय इलाज में व्यस्त होने के कारण तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी थी। क्योंकि मृतक का जान बचाने का कार्य पहली प्राथमिकता थी। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाये जाने का जो तर्क अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से विलम्ब के सम्बन्ध में जो तर्क लिए गए हैं और जो तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से बताये गये हैं, उनका खण्डन अभियुक्तगण की ओर से नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि मृतक को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। इस विलम्ब से अभियोजन पक्ष के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट

लिखाए जाने में विलम्ब के क्या कारण थे और ऐसी क्या परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में हुआ है। इन तथ्यों को भी न्यायालय को विचार में लेना होगा। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अमर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह 2003 (1)जेआइसी 805 सु0को० में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से लिखाये जाने में मामला स्वतः संदिग्ध नहीं हो जाता। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि प्रथम सूचना विलम्ब से लिखाये जाने के पीछे कारण क्या था। प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से लिखाये जाने में हुए विलम्ब पर विचार करते समय चुटहिल को आयी चोटें, पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, चिकित्सा उपचार के पाने का प्रयास, घटनास्थल से थाने एवं अस्पताल की दूरी आदि बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है या एण्टीटाईम इसको जानने का कोई गणितीय सूत्र नहीं है। हिमांचल प्रदेश राज्य बनाम ज्ञान चन्द्र 2001 सीआरएलजे 2548 सु0को० में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में विलम्ब का स्पष्टीकरण दिया गया है या नहीं दिया गया है। यदि मामला पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से सावित होता है तो विलम्ब के आधार पर अभियोजन मामला घातक नहीं होता। श्याम बनाम म0प्र० द्वारा पी एस० बर्छ की ओर से 2007(1)सीसीएससी 317 सु0को० में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से लिखाने के सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलम्ब से दर्ज कराने की दशा में अभियोजन संदिग्ध हो जाता है। यदि साक्षियों का अभियुक्त को फंसाने का कोई हेतुक न हो और विलम्ब का सत्याभाषी कारण दिया गया हो। कर्नैल सिंह बनाम मध्य प्रदेश ए.आई.आर. 1995 (एस.सी.) पेज 1472 एवं स्टेट आफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह ए.आई.आर. 1996 (एस.सी.) पेज 1393, में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल विलम्ब से अंकित कराये जाने के कारण यह कदापित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घटना असत्य है।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जो तथ्य या साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, उसके आधार पर यह किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने में जान बूझकर कोई विलम्ब किया गया है अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाईम अंकित करायी गयी है। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाए जाने के सम्बन्ध में जो कथन अभियोजन पक्ष की ओर से किए गए हैं, वह स्वाभाविक हैं तथा जो भी विलम्ब हुआ है, उसका स्वयं में ही कारण स्पष्ट है। किसी भी व्यक्ति की जान बचाना प्राथमिक कार्य होता है और वही कार्य वादी मुकदमा द्वारा किया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाए जाने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क लिया गया है, वह निराधार एवं महत्वहीन है।

**35.** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह दिया गया है कि किसी भी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जो भी अभियोजन साक्षी परीक्षित हुए हैं, वे हितबद्ध साक्षी हैं।

न्यायालय को यह देखना है कि क्या स्वतन्त्र साक्षीगण के सम्पोषण के बिना ही पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं।

उपरोक्त तर्क के खण्डन में अभियोजन पक्ष की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि स्वीकृत रूप से मृतक, पी0डब्लू0-1 का पिता तथा पी0डब्लू0-2 व पी0डब्लू0-5 का दादा हैं, जिनमें पी0डब्लू0-2 एवं पी0डब्लू0-5 घटना का प्रत्यक्षदर्शी चक्षु साक्षी है। अभियोजन कथानक की कड़ी के रूप में मौके पर अभियुक्तगण को देखे जाने की साक्षी हैं तथा पी0डब्लू0-1 ने मृतक के घायलावस्था में आकर घटना के बारे में बताने के आधार पर अपना साक्ष्य दिया है। मात्र इनके सम्बन्धी होने के आधार पर ही इनके बयान को अविश्वसनीय करार नहीं दिया जा सकता। मैंने उर्पयुक्त तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली एवं इन परीक्षित साक्षीगण के बयानों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया, जो ऊपर विवेचित किया जा चुका है। इन साक्षियों ने घटना घटित

होने के सम्बन्ध में व अभियुक्तगण की पहचान के सम्बन्ध में संदेह से परे बयान दिया है। क्योंकि घटना चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित है। अतः मौके पर साक्षियों की विश्वसनीयता को देखा जाना अनिवार्य होता है। पी0डब्लू0-2 व पी0डब्लू0-5 दोनों साक्षियों ने घटना के समय मौके पर अपनी उपस्थिति का साक्ष्य दिया है तथा घटना के उपरान्त मृतक को पैदल अपने साथ घर लेकर आने का साक्ष्य भी दिया है। इस प्रकार उपरोक्त दोनों साक्षीगण घटना के मौके की साक्षी हैं। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय की निम्न विधिव्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना उचित होगा।

1. **2008 एस.सी.सी.(क्रिमिनल) पेज-630 पंजाब प्रति युवराज आदि में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी साक्षी की साक्ष्य को मात्र रिश्ते के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता।**

2. **मुशीर खाँ बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश ए.आई.आर. 2010,ए0सी0जे0 पेज-762 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्षियों का मृतक से अति निकट का सम्बन्धी होना, उनकी विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता है तथा उनकी साक्ष्य को मात्र इस आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता, तथापि साक्ष्य की समीक्षा सतर्कतापूर्वक की जानी चाहिए।**

प्रस्तुत मामले में साक्षी पी0डब्लू-1 भूवनेश्वर मिश्रा वादी मुकदमा है तथा उसके द्वारा अपने पिता मृतक जयप्रकाश द्वारा घायल अवस्था में उसके पास घर पहुँचकर घटना के बारे में बताने के आधार पर घटना का अक्षरशः वर्णन किया गया है। पी0डब्लू-2 व पी0डब्लू-5 द्वारा भी अपने सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे इन साक्षीगण के बयान पर अविश्वास किया जाये। पी0डब्लू-2 अन्त मिश्रा एवं पी0डब्लू-5 तनु मिश्रा जो कि कथित प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी हैं। उसके द्वारा अपने बयान की मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया है। इन साक्षीगण के बयान के सम्पुष्टि में चिकित्सीय रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है। इस मामले में तथ्य के तीन साक्षी परीक्षित हुए हैं। तीनों साक्षीगण से बचाव पक्ष द्वारा विस्तृत जिरह की गयी, किन्तु जिरह में कोई ऐसा तथ्य उजागर नहीं हुआ जिससे इनके कथनों पर अविश्वास किया जा सके।

घायल व्यक्तियों का बयान बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह अपने सही मारने वालों को छोड़कर गलत व्यक्ति पर दोषारोपण कभी नहीं करते। इस प्रकरण में वादी मुकदमा के पिता मृतक जयप्रकाश द्वारा घायलावस्था में वादी मुकदमा को घटना के समस्त तथ्यों को अभियुक्तगण के नाम के साथ बताया गया। साक्षीगण पी0डब्लू-2 व पी0डब्लू-5 जिनकी उपस्थिति मौके पर निश्चित पायी गयी है तथा चक्षुदर्शी साक्षी हैं, इनके द्वारा अभियोजन कथानक का सशपथ पूर्ण समर्थन किया गया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इनके बयान पर अविश्वास किया जा सके।

**वस्तुतः** हमारे समाज की यह वास्तविकता है कि घटना को होते हुए कई लोग देखते हैं, किन्तु रंजिश, डर एवं किसी दबाव के कारण न्यायालय के समक्ष सत्य बात कहने से डरते हैं। ऐसी दशा में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी को पेश करना अभियोजन पक्ष के लिए प्रायः न केवल मुश्किल है, बल्कि असम्भव हो जाता है। अतः स्वतन्त्र साक्षी को पेश न करना समाज की वर्तमान परिस्थितियों के तहत प्रस्तुत मामले में कोई घातक या प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा।

**36.** बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण को रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा सोच-विचार करके रंजिश के कारण झूठी तहरीर दी गयी है।

इसके खण्डन में अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जो साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि कथित घटना कारित हुई है। अभियुक्तगण द्वारा मिलकर मृतक जयप्रकाश मिश्रा के साथ मारपीट करके तमंचे से फायर कर चोटें पहुँचाई गयी, जिससे उनकी मृत्यु हुई है।

उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाये तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव एवं राजन यादव के विरुद्ध नामजद दर्ज करायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में जयप्रकाश मिश्र की मृत्यु हुई है, अर्थात् जब अपराध एक सच्चाई है। घटना का घटित होना एवं असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने का तथ्य सिद्ध है, तब बचाव पक्ष के उक्त तर्कों में यह सामान्य समक्ष से परे है कि मात्र किसी रंजिश के कारण वादी मुकदमा वास्तविक अभियुक्त को छोड़कर किसी निर्दोष व्यक्ति को क्यों फंसायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा अपने इस तर्क को बल देने के लिए ऐसा कोई विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके इस तर्क को उनके पक्ष में निष्कर्ष का आधार बनाया जा सके।

**\*राम मोहन बनाम उ0प्र0 राज्य' 2014 (86) ए0सी0सी0 404**, जिसमें कहा गया है कि “Where deceased died on the spot, F.I.R. promptly lodged containing details of the incident, names of the accused, weapon used motive, mode, manner and result of assault. Possibility of concoction, fabrication, manipulation and afterthought is ruled out.”

इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्न निर्णयज विधियों का भी उल्लेख करना उचित होगा।

1. विजयशक्ति सिंधे बनाम महाराष्ट्र AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 1198

2. मौहम्मद मियां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 397

उपर्युक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पीड़ित पक्ष कभी भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए वास्तविक अपराधी को दण्ड से बचाने में सहायता नहीं करेगा।

रंजिश एक दुधारी तलवार है जो चोट पहुँचाने का कारण भी हो सकती है तथा फर्जी रूप से मुकदमे में फंसाने का कारण भी हो सकती है। यदि यह मान भी लिया जाये कि वादी एवं अभियुक्तगण के मध्य रंजिशन विद्यमान हैं, तो भी केवल पक्षकारों में रंजिश होने के आधार पर अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता, यदि घटनास्थल पर उनकी उपरिथिति साबित है।

**धारा एवं अन्य बनाम यूपी. AIR 2013 SC 308 एवं धर्मवीर बनाम उ0प्र0 AIR 2010 SC 1378** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि “अभियुक्त की गवाह से शत्रुता होने के आधार पर उसकी साक्ष्य को निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि साक्षी का बयान विश्वसनीय है तो उसके बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यह भी कहा है कि जहां पर पक्षकारों में रंजिश विद्यमान है, वहां पर साक्षीगण के बयानों का ज्यादा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।” इस मामले में सभी साक्षीगण द्वारा सशपथ बयान में अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में भी ऐसी कोई तात्त्विक विसंगति या विरोधाभास नहीं है, जिससे इनके कथनों पर विश्वास न किया जा सके। अतः इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है।

**37.** अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि घटना का मोटिव साबित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र यह लिखा है कि मेरे पिताजी को रास्ते में रोक कर पुरानी रंजिश को लेकर गालियों देने लगे। जब मेरे पिताजी द्वारा इन लोगों को गालियों देने से मना किया गया तो नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव पुत्र शिवकुमार यादव के द्वारा अपने पास से कट्टा निकाल कर जान मारने की नियत से मेरे पिताजी के ऊपर फायर कर दिया गया। छेड़खानी एवं चाकू मारने की घटना का प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णन नहीं है। मात्र मोटिव/हेतुक बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से कहानी बनायी गयी है। छेड़खानी वाली घटना की रिपोर्ट प्रश्नगत घटना के बाद दर्ज करायी गयी है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाय तो तथ्य के तीनों साक्षीगण ने अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री के साथ घटना के पूर्व छेड़-छाड़ एवं उसे परेशान करने का कथन किया है। साक्षी पी0डब्लू०-१ ने अपने बयान में पेज-२ पर कहा है कि "विद्यालय आते जाते मेरी लड़की तन्नू मिश्रा को हांसीपुर के नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी व राजन यादव अक्सर छेड़खानी करते थे, जिसकी शिकायत मेरी लड़की तन्नू मुझ से तथा मेरे पिता जी से करती रही। इसकी शिकायत मैं तथा मेरे पिता जयप्रकाश विद्यालय के प्रधानाचार्य व नागेन्द्र व राजन के परिजनों से किया।" आगे पेज-७ पर कहा है कि "मेरी लड़की तन्नू मिश्रा के साथ अक्सर नागेन्द्र यादव, राजन यादव, रामलखन यादव, व मिन्टू सिंह छेड़खानी करते थे। मेरी लड़की मुझ से तथा मेरे पिता जी से बताया करती थी।"

साक्षी पी0डब्लू०-२ ने अपने बयान में पेज-४ पर कहा है कि "मेरी बहन तन्नू के साथ अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव, राजन यादव, मिन्टू सिंह अपने साथियों के साथ छेड़खानी करते थे। दिनांक-27.02.2015 को उक्त लोग मेरी तन्नू के साथ जब वह पढ़ने के लिए गई थी तो छेड़खानी कर रहे थे। उसी समय मैं पहुँच गयी।" आगे पेज-८ पर कहा है कि "इस कत्ल की घटना के 10-11 दिन पहले मेरी बहन के साथ छेड़खानी की घटना हुयी थी, जिसकी रपट लिखवायी गयी थी। छेड़खानी की घटना के बाद व हत्या की घटना के बीच नागेन्द्र यादव व राजन धमकी देते थे कि मेरा दोस्त मिन्टू सिंह है, मजा चखायें।" आगे पेज-९ पर कहा है कि "छेड़खानी के सम्बन्ध में थाने पर मैंने व दादा जी ने दरखास्त दिया था।"

पी0डब्लू०-५ तन्नू मिश्रा जिसके साथ कथित छेड़खानी की घटना होने का कथन किया गया है, ने अपने बयान के पेज-३ पर कहा है कि "इस घटना के पहले ये मुझे नागेन्द्र यादव, राजन यादव, मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह, बन्टी यादव तथा रामलखन यादव मुझे गन्दा गन्दा शब्द बोलकर अश्लील हरकत करते थे। अभियुक्तगण ने मेरे साथ छेड़खानी करने के कारण रास्ते में आते जाते परेशान करते थे तथा गन्दी गन्दी शब्द बोलते थे। घटना छेड़खानी की दिन 27.02.2015 को स्कूल पूर्व माध्यमिक विद्यालय खैरा हांसीपुर में 10.30 बजे दिन में स्कूल के अन्दर इन लोगों ने मारा था। मेरे कपड़े फाड़ दिये थे। चाकू से नागेन्द्र यादव ने मुझे फील्ड में मारा था। चाकू मेरे दाहिने अंगूठे के नीचे कलाई में लगा था।" आगे पेज-६ पर न्यायालय द्वारा पूछने पर इस साक्षी ने कहा है कि "ये लोग पूरे फील्ड में हमे मारा पीटा मेरा कपड़ा फाड़ दिया।"

इस प्रकार उपरोक्त तथ्य के साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा हेतुक सिद्ध किया गया है। साक्षीगण के बयान में छेड़खानी की घटना दिन 27.02.2015 को होना कहा गया है तथा प्रस्तुत प्रकरण की घटना इसी की निरन्तरता में लगभग 8-9 दिन बाद ही दिनांक-08.3.2015 को कारित की गयी है। जहाँ तक इन साक्षियों के बयान में हेतुक का प्रश्न है तो यह विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि जहाँ घटना चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित होती है वहाँ हेतुक (मोटिव) गौण हो जाता है।

इसके परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय की निम्न विधिव्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

1. 2013 (4)एस.सी.सी. (क्रिमिनल) पेज-228 गुरमेल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब व अन्य
2. शम्भूनाथ जायसवाल बनाम स्टेट आफ यू0पी० 2001 (42) ए.सी.सी. पेज-17

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में यह प्रतिपादित किया गया है कि गवाहान की उपस्थिति घटनास्थल पर सिद्ध होने पर उनकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होती है तब हेतुक कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, जबकि वर्तमान प्रकरण के तथ्य व साक्ष्य के आधार पर घटना का हेतुक स्पष्ट किया गया है।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बादाम सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 26 में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि यदि मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय है तो हेतुक का महत्व गौड़ हो जाता है। यदि अभियोजन हेतुक नहीं भी सिद्ध किया है और जो मोटिव बताया गया है वो फर्जी है, तो भी अभियोजन कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है, वहाँ हेतुक की अनिवार्यता नहीं है। यह सही है कि आपराधिक घटना की पृष्ठभूमि में कोई न कोई वाद हेतुक छिपे तौर पर या खुले तौर पर अवश्य होता है, लेकिन हेतुक का साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

1. गोपीराम बनाम उ0प्र0 राज्य 2006 (55) ए0सी0सी0 P 673 सुप्रीम कोर्ट
2. उ0प्र0 राज्य बनाम नवाब सिंह 2005 ए0सी0सी0 (कि0) 33
3. राजस्थान राज्य बनाम अर्जुन सिंह ए0आई0आर0 2011 ए0सी0सी0 3380

उपरोक्त न्याय निर्णयों में यही मत प्रकट किया गया है कि जहां चक्षुदर्शी साक्षियों की प्रत्यक्ष साक्ष्य है, वहां उद्देश्य के अपर्याप्त होने से कोई प्रभाव वाद पर नहीं पड़ता है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उससे यह किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता कि प्रश्नगत घटना नहीं हुयी है। साक्षी के साक्ष्य के अनुसार घटना का जो कारण दर्शाया गया है, वह अपराध के घटित होने के लिए स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। अतः इस सम्बन्ध में भी बचाव पक्ष का तर्क बलहीन है।

**38.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि घटनास्थल साबित नहीं है। नक्शा नजरी एवं साक्षीगण के बयान में घटनास्थल के सम्बन्ध में विरोधाभाष है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर नक्शा नजरी में घटनास्थल अशोक मिश्रा का खेत बताया गया है, जिसे अक्षर X से दर्शित किया गया है। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0-1 ने अपने बयान के पेज -19 पर कहा है कि "दरोगा जी को लेकर जहाँ पिता जी को गोली लगी थी, वहाँ गया था। वहाँ मैंने दरोगा जी को गोली लगने का स्थान अशोक मिश्रा का खेत दिखाया है। यह अशोक मिश्रा का खेत खड़ंजा मार्ग से उत्तर व पक्की सड़क से पश्चिम है। पुर्झ पाण्डेय का अहाता 4 कदम जाकर खड़ंजा के बाद उत्तर साइड में है। इसी जगह पर गिरा हुआ खून दरोगा जी को दिखाया था।" पी0डब्लू0-2 ने अपने जिरह के पेज-10 पर का है कि "पुर्झ पाण्डेय के अहाते के बगल से खड़ंजा भी गया है, उनके अहाते के उत्तर खड़ंजा है। खड़ंजा के उत्तर तरफ अशोक मिश्रा का खेत है। पक्की सड़क से पश्चिम तरफ अशोक मिश्रा का खेत है। पुर्झ पाण्डेय के अहाते से अशोक मिश्रा का खेत, खड़ंजा से सटा हुआ है। यह दूरी लगभग 10 कदम है।" पी0डब्लू0-5 ने पेज-18 पर कहा है कि " दरोगा जी को मौका मुआयना दिखाने गयी थी। मैंने दरोगा जी को दिखाया था कि किस जगह खड़े थे और किस जगह से गोली मारी गयी। कारतूस, खोखा, टार्च अशोक मिश्रा के खेत में पड़ा था।" इस प्रकार उपरोक्त सभी साक्षीगण के बयान से घटनास्थल अशोक मिश्रा का खेत स्पष्ट है। सभी साक्षियों ने निरीक्षण मानचित्र के अनुरूप बयान दिया है। नक्शा नजरी से यह दर्शित है कि पुर्झ पाण्डेय का अहाता एवं अशोक मिश्रा का खेत खड़ंजा मार्ग के आस-पास सटे हुए है। इस घटनास्थल के सम्बन्ध में साक्षियों के बयान में यदि कोई विरोधाभाष है भी तो समयान्तराल के कारण आना स्वाभाविक है। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई अन्तर्विरोध नहीं लाया जा सका है, जिससे अभियोजन कथानक पर कोई संदेह उत्पन्न हो सके। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क भी बलहीन है एवं खण्डित किया जाता है।

**39.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि अभियोजन प्रपत्रों में घटना का समय भिन्न भिन्न अंकित है। कागज सं0 3अ/44 में घटना का समय 3.30 पी.एम. जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में समय 9.30 पी.एम. अंकित है तो उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में यदि ऐसी कोई भिन्नता है तो यह एक मात्र अनियमितता है और मात्र इसी आधार पर अभियोजन कथानक को असत्य नहीं माना जा सकता। तब इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क खण्डित किया जाता है।

**40.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि बुलेट/गोली घटनास्थल से बरामद है, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं है और न ही असलहे से सम्बद्ध किया गया है। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी में प्रकाश के किसी श्रोत का उल्लेख नहीं है और गवाहों ने घटना को कहाँ से देखा, यह दर्शित नहीं है। इस प्रकार विवेचक द्वारा गलत ढंग से विवेचना करके गलत आरोपण प्रेषित किया गया है।

तो बचाव पक्ष का विवेचना के सम्बन्ध में इस तर्क के कि विवेचक द्वारा सही विवेचना नहीं की गयी और न ही सही तथ्यों को एकत्रित किया गया है, अतः विवेचना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, खण्डन में अभियोजन पक्ष द्वारा यह कहा गया कि विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि कतिपय तथ्यों को संकलित/एकत्रित नहीं किया गया है तो यह विवेचक का दोष माना जायेगा और इसका लाभ अभियुक्तगण नहीं ले सकते और इस सन्दर्भ में माननीय न्यायालय की निम्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

**विश्वेसरन प्रति स्टेट 2003 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) पेज 1270** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में कुछ दोष रह जाता है तो इस आधार पर अभियोजन पक्ष के केस को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है।

इसी सम्बन्ध में **लीलाराम प्रति स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) पेज-222** का भी आलम्बन लिया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विवेचना में की गयी कोई अनियमितता अभियोजन कथानक को तिरस्कृत किये जाने का आधार नहीं बन सकती है।

**(2012) एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) पेज-685** श्यामल घोष प्रति ऑफ वेस्ट बंगाल में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि—Defective or illegal investigation Discrepancies in investigation- Every discrepancy in investigation does not weigh with court to an extent that it necessarily in acquittal of accused- there are certain discrepancies in investigation in present case but they are not fatal- investigation officer failed to send bloodstained gunny bags containing part of body of victim and other recovered weapons to FSL, to take photographs of shops in question, prepare site plan thereof, etc.- of course, it would certainly have been better for prosecution case if such steps were taken by IO- However, these are discrepancies/lapses of immaterial consequence.

**(2013)3 एस0सी0सी0 (क्रिमिनल) पेज-467** काशीनाथ मण्डल प्रति स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि—Defective investigation- Effect of Fingerprints not taken from place of incident- reiterated- remissness and inefficiency of investigating agency should by no ground to acquit a person if there is enough evidence on record to establish his guilt beyond reasonable doubt, as in present case- Conviction confirmed.

**कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी ए0आई0आर0 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज-185** में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विवेचक द्वारा विवेचना में की गयी त्रुटि से दण्डिक न्याय निर्णयन प्रभावित नहीं होता है।

**पंजाब राज्य बनाम हाकिम सिंह 2005(7) एस0सी0सी0 408 दशरथ सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य (2004)7 एस0सी0सी0 408** के मामलों में यह स्पष्ट विधि सिद्धान्त प्रतिपादित है कि विवेचक द्वारा की गयी त्रुटि का कोई भी विपरीत प्रभाव अभियोजन पर नहीं होता है। यदि अभियोजन का मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय हो।

वर्तमान मामले में तथ्य के परीक्षित साक्षीगण का साक्ष्य विश्वसनीय है तथा अभियोजन कथानक का पुष्टिकारक साक्ष्य पाया गया है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आलोक में यदि विवेचक द्वारा कुछ तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं तो इतने मात्र से अभियोजन के सम्पूर्ण कथानक को अमान्य नहीं माना जा सकता। इतना अवश्य है कि इन परिस्थितियों में साक्षीगण की तथ्यगत साक्ष्य विश्लेषण अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना होगा। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए जिन तथ्य के साक्षीगण को परीक्षित

कराया गया है, उनकी उपस्थिति एवं उनकी विश्वसनीयता का परिशीलन एवं विश्लेषण पूर्व में विवेचित किया जा चुका है। अतः इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क खण्डित किया जाता है।

**41.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट नहीं है किन्तु इसके सम्बन्ध में शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है, जिससे घटनास्थल पर इसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं मानी जा सकती। इस सम्बन्ध में साक्षी पी0डब्लू-1 ने अपने जिरह के पेज-16 पेज पर कहा है कि “मैंने अपने रिपोर्ट में अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह का नाम लिखाया था। मेरी रपट में लिखी है कि नहीं, इसका कोई कारण नहीं बता सकता तथा जिरह के अंतिम पेज पर कहा है कि “घटना के बाद सर्व प्रथम हमारे पिता जी ने अभियुक्तों का नाम बताया था। नागेन्द्र यादव, राजन यादव, राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह अभियुक्त का नाम बताया था।” सुझाव देने पर कहा है कि यह कहना गलत है कि घटना के बाद पिता जी ने अभियुक्तों का नाम नहीं बताया था। साक्षी पी0डब्लू-2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में पेज-2 पर कहा है कि “जब हम लोग कृष्णकान्त पाण्डेय के हाते के पास पहुंची तो गोली चलने की आवाज सुनी और दादाजी के चिल्लाने की आवाज भी सुनी। हम दोनों भी चिल्लाते हुए टार्च जलाते हुए आगे बढ़े। मैंने देखा कि नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी को मेरे दादा पकड़े हुए थे। दोनों में गुत्थमगुत्था हो रहा था। तभी नागेन्द्र यादव कट्टे की मुठिया से मेरे दादा के सिर पर मारने लगे। तभी राजन यादव नागेन्द्र यादव के कट्टे को लेकर उससे मेरे दादा के सिर पर मारे। तभी मिन्टू सिंह अपने कट्टे से एक फायर किए।” आगे कहा है कि मैं तन्नू तथा दादा जी वहां से घर पर आए। दादा जी को गोली लगी थी, सर पर भी चोटें लगी थी, खून बह रहा था। मेरे पिता दादाजी को लेकर उनकी जान बचाने के लिए दवा हेतु वाराणसी ले गए। उन्हीं चोटों के कारण दिनांक 09.03.2015 को बनारस में हो गयी। मैंने उक्त तीनों लोगों को दादाजी को मारते हुए अपनी ऑर्खों से देखा था। अपनी जिरह के पेज-15 पर कहा है कि “मैंने पिता जी को घर जाकर बताया था कि नागेन्द्र व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह ने दादा जी को गोली मार था।” साक्षी पी0डब्लू-5 ने अपने बयान में कहा है कि “मैं और दीदी टार्च लेकर दादाजी को दवा देने के लिए घर से बाहर पुई पाण्डेय के हाता के पास पहुंचे तो देखा कि नागेन्द्र यादव, मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह दादाजी को गाली दे रहे थे। बहुत गन्दी-गन्दी गालियाँ राजन यादव, नागेन्द्र यादव एवं मिन्टू सिंह उर्फ राजन सिंह दे रहे थे।” इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से घटनास्थल पर अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह की उपस्थिति साबित है। पी0डब्लू-2 व पी0डब्लू-5 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी हैं, इनके द्वारा अपने सशापथ बयान में अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह का नाम अंकित नहीं किया गया है तो मात्र इसी आधार पर अभियुक्त की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। वादी मुकदमा द्वारा यह तहरीर अपने पिता जी के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान दी गयी है, उस समय की मानसिक अवस्था को देखते हुए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उसके द्वारा प्रत्येक तथ्यों को तहरीर में अंकित किया जाय। अतः इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

**42.** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगण के बयान से चिकित्सीय रिपोर्ट का समर्थन नहीं हो रहा है। परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू-6, पी0डब्लू-9 एवं पी0डब्लू-3 के बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि किस हथियार से, किस समय चोट आयी, चोट की अवधि क्या है। बयान से आगेयास्त्र की चोटे आना अविश्वसनीय है।

इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध चिकित्सीय प्रपत्र **पोस्टमार्टम रिपोर्ट** जिसे पी0डब्लू-9 डा० जनार्दन प्रसाद वर्मा ने प्रदर्श क-20 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने अपने बयान में मृतक के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोटों का उल्लेख किया है:-

1. टांका लगा हुआ घाव जो 12 सेमी<sup>0</sup> लम्बा था तथा 12 Stiches लगे हुए थे। बांए सीने के ऊपरी हिस्से में और गर्दन के ठीक नीचे, मध्य रेखा से 5 सेमी<sup>0</sup> बाहर तथा बांए कान से 12 सेमी<sup>0</sup> नीचे तथा बांए कंधे से 11 सेमी<sup>0</sup> मध्य भाग की ओर।
2. फटा हुआ भाग (Lacerated) 3 सेमी<sup>0</sup> x 0.5 सेमी<sup>0</sup> x muscle deep. 1 cm. Lateral to mid line pack of head. 2 cm above occipute.
3. फटा हुआ घाव (Lacerated) 2 cm x 0.5 cm x muscle deep Right side parietal Area, 4 cm दाहिने कान के ऊपर, 15 cm outer to midline.
4. Contusion 10 cm x 6 cm left side of auricular region.
5. Brain Grazed (घिसा हुआ घाव) 4 cm x 3 cm left outer arm (बॉये बॉह में), कंधे के बांयी तरफ 18 सेमी<sup>0</sup> नीचे।
6. श्वास की नली में Tracheostomy wound 2 cm x 2 cm front of neck.
7. सीने को खोलने के बाद Contusion 12 x 6 cm left side outer chest 3 cm below left axilla with fracture of IIIrd to Vth rib.
  - सिर (Head) में चोट देखा गया जो मृत्यु के पूर्व चोट नं 0 02 व 03 के सन्दर्भ में पूर्व उल्लिखित है।
  - Skull (खोपड़ी) सामान्य। मस्तिष्क की झिल्लियाँ Pale थी। मस्तिष्क Pale था। मस्तिष्क का वजन 1230 ग्राम। ऑख, नाक व कान की Cavity सामान्य थी। दॉत 16/16 था। मुँह, जीभ, ग्रसनी सामान्य थी। थायरायड और अन्य ऊतक सामान्य थे। कंठनली तथा स्वरग्रन्थि सामान्य थी। श्वास नली व हायड अस्थि मृत्यु के पूर्व चोट नं 6 में दिखाया गया है।
  - छाती में दाहिनी तरफ सामान्य व बांयी तरफ मृत्यु के पूर्व आयी चोट संख्या 07 देखा गया है। Chest wall में भी चोट संख्या 07 में देखा गया है।
  - श्वास नली में चोट देखा गया। हायडअस्थि सामान्य थी।
  - लिंगन सामान्य
  - परिफुफ्फुस (pluva) Pale था। परिफुफ्फुस गुहा Right side सामान्य था। बांए तरफ 100 ml खून था।
  - फेफड़ा की स्थिति-दाहिने तरफ Pale था। बांया Concussed था। दाहिने फेफड़े का वजन 480 ग्राम व बांए का 460 ग्राम था।
  - Pericardium pale था। Pericardium Sec. सामान्य था।
  - हृदय का वजन 240 ग्राम था। हृदय का चैम्बर रक्त से आधा भरा हुआ था। बड़ी रक्तवाहिनियाँ सामान्य थीं।
  - उदर भित्ति की दशा सामान्य थी। Peritoneum Pale थी। Cavity सामान्य थी।
  - आमाशय में पानी की तरह 80 ml द्रव्य पाया गया था। आमाशय की न्यूकोशा सामान्य पायी गयी। छोटी ऑत में न्यूकस और गैस पाया गया। बड़ी ऑत में मल पदार्थ व गैस पाया गया था।
  - Liver Pale था जिसका वजन 1195 ग्राम।
  - Gallbladder भरी हुई थी। Splin 105 gram थी तथा Pale थी। वस्तिगुहा के ऊतक सामान्य थे। Pelvic Bone सामान्य थी। गुर्दा दोनों Pale था। दाहिने का वजन 105 ग्राम, बांए का 102 ग्राम था।
  - जननांग सामान्य थे।

. Spinal Column सामान्य था। Spinal Card open नहीं किया गया था।

### मृत्यु का समय.

मृत्यु सिंह मेडिकल रिसर्च सेण्टर वाराणसी में दिनांक 09.03.2015 को 03.00 अपराह्न में हुई थी।

### मृत्यु का कारण.

मृतक जय प्रकाश मिश्रा की मृत्यु का कारण शव विच्छेदन आख्या में “ Shock and Haemorrhage से हुई, जिसका कारण मृत्यु के पूर्व आयी चोटें जो कि पूर्व में नोट की गयी है तथा सभी चोटें मृत्यु के पूर्व की हैं तथा उपयुक्त सभी चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त हैं।

पी0डब्लू0-9 ने अपने जिरह में कहा है कि “चोट नं0 3 से मृतक की मृत्यु नहीं हुयी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ।”

**पंचायतनामा** जिसे प्रदर्श क-14 के रूप में साबित किया गया है, उसमें निम्न चोटों का उल्लेख है।

बांये कंधे पर चीरा गले तक, सिर में पीछे कटे का निशान, जगह जगह छर्र का निशान, गर्दन में चीरा का निशान व गले पर कटे का निशान, दाहिने हाथ बाजू पर काला धब्बा का निशान, बांये कंधे पर काला धब्बा का निशान है तथा राय पंचान में अंकित है कि “मृत्यु का कारण गोली लगने से घायल होने के फलस्वरूप है।

साक्षी पी0डब्लू0-3 ने अपने बयान में कहा है कि “आग्नेयास्त्र की गोली के घुसने व निकलने का घाव गर्दन में बांयी तरफ तथा अनेक फटे हुए घाव सर पर पाये गये।

इस साक्षी के बयान में निम्न चोटों का उल्लेख है:-

गर्दन आग्नेयास्त्र की चोट है।

अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है।

रक्तचाप बहुत कम है।

बैचैनी है।

सर के दाहिने पेराइटल पर अनेक फटे हुए घाव थे तथा चिकित्सीय प्रपत्रों को प्रदर्श क-2 लगायत प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है।

पी0डब्लू0-6 ने आघात आख्या को प्रदर्श क-8 के रूप में साबित किया है, जिसमें निम्न चोटों का उल्लेख है।

**चोट संख्या-1.** L.W लेसरेटेड (फटा) गुण्ड (चोट) 01.00 से0मी0 X 0.700 से0मी0 X गहराई ज्ञात नहीं थी, जो कि बाईं गर्दन के बेस पर था, जिसका मैने गर्दन का एक्सरे करने की सलाह दी। यह चोट बांए कान से दस से0मी0 नीचे था, जिससे खून बह रहा था।

**चोट संख्या-2.** फटा हुआ घाव 04.00 X 3.5 से0मी0 X गहराई अज्ञात जो बांयी क्लैविकल हड्डी के पास थी। इस चोट से खून बह रहा था, जिसका मैने चेस्ट का एक्सरे करने की सलाह दी।

**चोट संख्या-3.** कन्ट्रूड सूजन 15.00 से0मी0 X 15.00 से0मी0 जो बांए गर्दन के बेस पर व बांए कंधे पर और सीने के ऊपरी भाग पर था, जिसका मैने सीने व गर्दन का एक्सरे करने की सलाह दी। यह चोट की ऊपरी त्वचा फटी हुई थी।

**चोट संख्या-4.** खरोंच व सूजन वाली चोट 05.00 से0मी0 X 05.00 से0मी0 दाहिने बीच के आर्म के पार्श्व साइड पर थी, जो लाल रंग की थी।

**चोट संख्या-5.** फटा हुआ चोट 0.5 से0मी0 X 0.5 से0मी0 X गहराई अज्ञात जो बांए नाक की छेद के पास थी, जिसका मैने चेहरे पर आई चोटों के एक्सरे की सलाह दी।

**चोट संख्या-6.** कन्ट्रूड सूजन 05 से0मी0 X 05 से0मी0 सिर के बाईं फिर कहा दाईं तरफ जो दाहिने कान से 07.00 से0मी0 ऊपर था, जो लाल कलर का था।

### अभिमत

चोटहिल की स्थिति गम्भीर, नाड़ी 90/मिनट, रक्तचाप 110/80 था। उपरोक्त सभी चोटों के लिए सर्जन को रिफर किया गया व एक्सरे के रिपोर्ट के लिए रेडियोलाजिस्ट को रिफर किया गया।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में पेज-7 पर कहा है कि "चोटहिल की सामान्य दशा अति गम्भीर थी। चोटहिल बोलने की स्थिति में नहीं था। पेज-8 पर कहा है कि "चोट सं 1, 2 व 3 से चोटहिल के गर्दन के अन्दर, सीने के अन्दर ट्रैकिया, लैरिंग्स के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है।"

इस प्रकार उपरोक्त सभी चिकित्सीय प्रपत्रों से यह स्पष्ट है कि मृतक को घटना में गम्भीर चोटें कारित हुयी थीं। पंचायतनामा प्रदर्श क-14 में चोटों के सम्बन्ध में बांये कंधे पर चीरा गले तक, सिर में पीछे कटे का निशान, जगह जगह छर्रे का निशान, गर्दन में चीरा का निशान व गले पर कटे का निशान, दाहिने हाथ बाजू पर काला धब्बा का निशान, बांये कंधे पर काला धब्बा का निशान का उल्लेख है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-20 में मृत्यु का कारण due to shock & haemorrhage as a result of injury noted above. अंकित है। साक्षी पी0डब्लू-9 ने अपने बयान के पेज-2 पर एण्टीमार्टम इंजरी में चोट नं0-7 रिब 3, 4, 5 फ्रैक्चर उल्लिखित किया है। चिकित्सक साक्षी के अनुसार चोटें गम्भीर थीं तथा चोटों की स्थिति भी उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है। चिकित्सीय साक्षी के बयान में हथियार, चोट का समय या प्रकृति का उल्लेख न किये जाने से चोटों की प्रकृति में कोई अस्पष्टता नहीं है। यह महत्वहीन है। इससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मृतक के सिर एवं सीने पर गम्भीर चोटें पायी गयी हैं, जो नाजुक भाग (वाइटल पार्ट) है तथा मृत्यु का कारण "मृत्यु पूर्व आयी चोटों से आये आघात एवं रक्तस्राव से होना" अंकित है। अतः इस बिन्दु पर विद्वान अधिवक्तागण का तर्क खण्डित किया जाता है।

**43.** बचाव पक्ष द्वारा तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा द्वारा सोच-विचार करके रंजिश के कारण झूठी तहरीर दी गयी है तथा इस सम्बन्ध में सूची 155ख/1 से दाखिल प्रपत्र कागज सं0 155ख/2 लगायत 155ख/4 प्रथम सूचना रिपोर्ट की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। यह भी कहा गया कि इस प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित घटना का जिक तहरीर में नहीं किया गया है, साक्षीगण पी0डब्लू-2 एवं पी0डब्लू-5 एवं मौके पर उपलब्ध स्वतन्त्र साक्षी का नाम भी तहरीर में अंकित नहीं किया गया है जो सिद्ध करता है कि घटना फर्जी है। इसके खण्डन में अभियोजन पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जो तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि कथित घटना कारित हुई है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से हेतुक भी स्पष्ट है।

जहां तक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि पूर्व घटना का जिक तहरीर में नहीं किया गया है या साक्षीगण का नाम नहीं अंकित है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना घटित होने की मात्र एक सूचना होती है। इसमें प्रत्येक तथ्यों के वर्णन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः इस बिन्दु पर भी बचाव पक्ष का तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

**44.** प्रश्नगत घटना में मृतक जयप्रकाश मिश्र की मृत्यु हुई है। मृतक की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है। पत्रावली पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-20 में मृत्यु का कारण " शाक एण्ड हेमरेज से हुयी है" जिसका कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटे हैं, अंकित है। ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु अन्य किसी कारण या प्राकृतिक रूप से हुई हो, ऐसा साक्ष्य से दर्शित नहीं होता और न ही बचाव पक्ष ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित हो सके कि मृतक जयप्रकाश मिश्र की मृत्यु किसी अन्य कारण से या स्वाभाविक रूप से हुई हो। ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु प्रश्नगत घटना में मारपीट से उसके शरीर पर आई चोटों के परिणामस्वरूप होने की अवधारणा के अतिरिक्त अन्य कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

**45.** अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अभियुक्तगण दण्डित होंगे। इस सम्बन्ध में यह निश्चित है कि अभियुक्तगण द्वारा संयुक्त रूप से आक्रमण करके गम्भीर चोटें पहुंचाई गयी, जिसकी पुष्टि पी0डब्लू-1 भूवनेश्वर, पी0डब्लू-2 अन्नू मिश्रा, पी0डब्लू-5 तन्नू मिश्रा के बयान से होती है तथा मारपीट कर चोटें पहुंचाने पर मृतक जयप्रकाश मिश्र की मृत्यु कारित हुई है, जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है। अतः यह साबित है कि सभी अभियुक्तगण की सहभागिता अपराध कारित करने में रही और सामान्य आशय का अनुमान केवल मामले के साबित तथ्यों से उत्पन्न परिस्थितियों से और साबित परिस्थितियों से निकाला जा सकता है। धारा 34 भा0दं0सं0 को लागू करने के लिए सामान्य आशय को अग्रसर करने में यदि कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानों वह कार्य अकेले उसी ने किया है। प्रस्तुत मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसर में घटना कारित की गयी है, जैसाकि अभियोजन साक्षीगण के बयानों से घटना के तथ्य साबित हैं। समस्त साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर, सामान्य आशय के अग्रसारण में घटना वाले दिनांक, समय एवं स्थान पर मारपीट करके मृतक जयप्रकाश मिश्र को चोटें पहुंचाई गयीं व इन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई है। यह अभियुक्तगण के सामान्य आशय के अग्रसारण में अपराध करने को स्पष्ट करता है।

**46.** उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या जिन धाराओं का आरोप अभियुक्तगण पर लगाया गया है, उन सभी में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पर आरोप साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बंटी यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को अन्तर्गत धारा-302/34, 504, 506/34 भा0दं0सं0 के आरोप से आरोपित किया गया है।

इस मामले में हमले का ढंग, हथियार की प्रकृति, चोटों की गम्भीरता व उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस मामले में सभी अभियुक्तगण द्वारा दि0 08.3.2015 को सामान्य आशय के अग्रसारण में, कट्टा/आग्नेयास्त्र से लैस होकर वादी मुकदमा के पिता की गोली मारकर हत्या की गई। घटना को पी0डब्लू-2 अन्नू व पी0डब्लू-5 तन्नू द्वारा देखा गया तथा स्वयं मृतक द्वारा भी घायलावस्था में घर जाकर वादी मुकदमा को घटना के बारे में बताया गया है। साक्षीगण से विस्तृत जिरह की गयी है किन्तु ऐसा तथ्य उजागर नहीं हुआ जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चक्षुदर्शी साक्षीगण अन्नू व तन्नू द्वारा घटना को न देखा गया हो। साक्ष्य अधिनियम में कहा गया है कि “साक्ष्य को तोला जाता है न कि गणना की जाती है।” “गुणवत्ता को देखा जाता है न कि मात्रा को।” जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नामदेव बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र 2007 क्रिमिनल लॉ जरनल 1819 सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी अभिनिर्धारित किया गया है। हत्या की धारा-300 भा0द0सं0 की Clause, Firstly- If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death. इस मामले में घटना में आयी सभी चोटें मृतक जयप्रकाश मिश्र के सिर, छाती, गर्दन, कंधा, “वाइटल” पार्ट पर हैं। मृतक को आयी चोटें हमलावरों के आशय/उद्देश्य को भी सुस्पष्ट करती हैं। ये चोटें अपने आप में प्राणघातक हैं। इस घटना में आयी चोटों के कारण ही जयप्रकाश मिश्र की मृत्यु हुयी है।

जहाँ तक अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप धारा-504 एवं 506/34 भा0द0सं0 का प्रश्न है तो तहरीर एवं साक्षीगण के बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि किन विशिष्ट शब्दों में गालियाँ दी गयी व किस प्रकार से संत्रास कारित किया गया। धारा-504 भा0द0सं0 के उपबन्ध तभी आकृष्ट होंगे जबकि युक्तियुक्त अपमान किसी व्यक्ति का किया जाय और अपमान प्रकोपित करने वाला हो तथा अभियुक्त जानता हो कि इससे शांतिभंग हो जायेगी और अपराध कारित हो जायेगा। धारा-504 भा0द0सं0 के आरोप साबित होने के लिए जैसा कि धारा-504 भा0द0सं0 में वर्णित है कि यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या सम्भाव्य जानते हुए कि प्रकोपित करेगा

कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा। हस्तगत मामले में कोई ऐसा प्रकोपन का साक्ष्य नहीं है। इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-504 भा०द०सं० का अपराध साबित नहीं है।

धारा-506 भा०द०सं० के उपबन्ध तभी आकृष्ट होंगे जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को शरीर, सम्पत्ति या ख्याति या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को शरीर या ख्याति के क्षति करने की धमकी इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाय। जहाँ तक आपराधिक अभित्रास का प्रश्न है जैसा कि धारा-503 भा०द०सं० में परिभाषित है। इस अपराध के गठन के आवश्यक तथ्य भी इस मामले में नहीं पाये जाते हैं। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-506 भा०द०सं० का अपराध साबित नहीं होता है।

**47.** अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पर धारा-3/25 आयुध अधिनियम का भी आरोप है तथा अभियुक्त से एक कट्टा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होना कहा गया है। इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी में बरामद कट्टा व कारतूस को कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर किये जाने का कथन किया गया है, किन्तु पत्रावली में इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है।

अभियुक्त से बरामद कट्टा को जॉच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजे जाने का कथन नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा यदि फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जाता तो तब उससे पता चल सकता था कि बरामद कट्टा चालू हालत में था या नहीं।

स्टेट आफ पंजाब बनाम जग्गा सिंह (SC) 1999 J.C.R.C. 128, साहिब बनाम उ०प्र० राज्य 2010 (1)J.I.C.70 इलाहाबाद एवं रामजतन एवं अन्य बनाम राज्य 1995(3) काइम्स पेज 58 में माननीय न्यायालयों द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि यदि अभिकथित हथियार की फोरेंसिंग प्रयोगशाला से बैलेस्टिक जॉच नहीं करायी जाती है तो ऐसी दशा में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियुक्त से कट्टा व कारतूस बरामदगी के मामले में किसी स्वतन्त्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि घटना दि० 11.4.2015 को खानपुर में पोखरे की सीढ़ी का है। जैसा कि फर्द में यह उल्लिखित है कि "दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी जनता के काफी लोग आ गये, जिनसे गवाही हेतु कहा गया तो भलाई बुराई के कारण हट बढ़ गये। अभियोजन का मात्र यह कथन है कि गवाही देने हेतु कहा गया तो वह हट बढ़ गये, तो जब पुलिसपार्टी अपने राजकीय कार्य के निर्वहन में अपना दायित्व पूरा कर रही थी, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने गवाही देने से मना कर दिया था, क्यों नहीं विधिक कार्यवाही की गयी, इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन के द्वारा नहीं दिया गया है। अर्थात् किसी स्वतन्त्र साक्षी को प्राप्त कर उसे अभियोजन कथनक के समर्थन में पेश नहीं करना, यह तथ्य भी अभियोजन के लिए घातक है।

अभियुक्त से बरामद कट्टा जॉच के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया है, जिससे यह पता चलता कि बरामद कट्टा चालू हालत में था या नहीं। कट्टा दि० 11.4.15 को घटना से लगभग एक माह बाद बरामद किया गया है, उक्त बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं बनाया गया है और न ही फर्द के किसी अन्य गवाह को साक्षी पी०डब्लू०-८ के साक्ष्य की पुष्टि में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन स्वीकृति को भी साबित नहीं किया गया है। उक्त सभी तथ्य अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह से कट्टा की बरामदगी को संदेहास्पद बनाता है।

**48.** उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-302/34 भा०द०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा आरोप अन्तर्गत धारा-506/34, 504 भा०द०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः सत्र परीक्षण सं0 125/2015 मु0अ0सं0 486/2015 आरोप अन्तर्गत धारा-302/34 भा0द0सं0 थाना चुनार में अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह दोष सिद्ध किये जाने योग्य हैं तथा आरोप अन्तर्गत धारा-506/34, 504 भा0द0सं0 थाना चुनार में अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

अतः सत्र परीक्षण सं0 124/2015 मु0अ0सं0 688/2015 आरोप अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम थाना चुनार में अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को सत्र परीक्षण सं0 125/2015 मु0अ0सं0 486/2015 आरोप अन्तर्गत धारा-302/34 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है तथा आरोप अन्तर्गत धारा-506/34, 504 भा0द0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को सत्र परीक्षण सं0 124/2015 मु0अ0सं0 688/2015 आरोप अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह जमानत पर है। उसके द्वारा प्रस्तुत जमानतनामे एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दि0 25.3.2022 को पेश हो।

दिनांक:-23.3.3022

(प्रीति श्रीवास्तव-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,,  
कक्ष सं.-1, मीरजापुर।

25.03.2022

पत्रावली आज दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश है।

दोषसिद्ध नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह जिला कारागार से तलब होकर न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण व दोषसिद्ध को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण एवं दोषसिद्ध नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव की तरफ से कथन किया गया है कि वह नवयुवक है। घर में पत्नी व बृद्ध माँ बाप हैं। जिनकी देख-भाल करने वाला कोई और नहीं है। अतः कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गई।

बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण एवं दोषसिद्ध राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह की तरफ से कथन किया गया है कि वह नवयुवक है। घर में अकेली बृद्ध माँ हैं। जिनकी देख-भाल करने वाला कोई और नहीं है। अतः कम से कम दण्ड दिये जाने की याचना की गई।

इसके विपरीत अभियोजन पक्ष की तरफ से कथन किया गया कि दोषसिद्ध द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में, कट्टे से लैस होकर वादी मुकदमा भूवनेश्वर कुमार मिश्र के पिता जयप्रकाश मिश्र पर गोलियाँ चलाकर उसकी हत्या की गयी है। दोषसिद्ध द्वारा हत्या जैसा गम्भीर अपराध किया गया है। अतः दोषसिद्ध को उनके द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए कठोरतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

न्यायालय द्वारा अभियोजन, बचाव पक्ष व दोषसिद्धगण को सुना गया।

इस मामले में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में कट्टे से लैस होकर वादी मुकदमा भूवनेश्वर कुमार मिश्र के पिता जयप्रकाश मिश्र पर गोलियाँ चलाकर उसकी हत्या कर दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा हत्या जैसा गम्भीर अपराध किया गया है। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चूंकि मामला ‘Rarest of rare’ की श्रेणी में नहीं आता जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य सन् 1980 के मामले में भी कहा गया है। अतः अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव व राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह प्रत्येक को आरोप अन्तर्गत धारा-302/34 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास तथा अंकन 25000/-रु0 (पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

## आदेश

अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव एवं राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह प्रत्येक को **सत्र परीक्षण सं0 125/2015** मु0अ0सं0 486/2015 आरोप अन्तर्गत धारा-302/34 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास तथा अंकन 25000/-रु0 (पच्चीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण प्रत्येक को छ: माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्तगण नागेन्द्र यादव उर्फ बन्टी यादव उर्फ अजय यादव एवं राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह प्रत्येक को आरोप अन्तर्गत धारा-506/34, 504 भा0द0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राजन सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को **सत्र परीक्षण सं0 124/2015** मु0अ0सं0 688/2015 आरोप अन्तर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि, यदि कोई हो तो उपरोक्त सजा में समायोजित की जाय।

अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। तदनुसार सजायाबी वारंट तैयार कर जिला कारागार भेजा जाये।

अभियुक्तगण को निर्णय व आदेश की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जावे।

बरामद माल अपील न होने की स्थिति में बाद मियाद अपील अवधि एवं अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाये।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं 124 / 2015 की पत्रावली पर रखी जाय।

दिनांक:-25.3.3022

(प्रीति श्रीवास्तव-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,,  
कक्ष सं.-1, मीरजापुर।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक:-25.3.3022

(प्रीति श्रीवास्तव-III)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
कक्ष सं.-1, मीरजापुर।